38वीं

वार्षिक रिपोर्ट

2007-2008

ईपीआई

epi

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.

ई.पी.आई. द्वारा वर्ष 2007-2008 के लाभांश की अदायगी

श्री संतोष मोहन देव, माननीय उद्योग और लोक उद्यम मंत्री, भारत सरकार, वर्ष 2007-2008 के अंतिम लाभांश के रूप में श्री ए.के. रतवानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. से चैक प्राप्त करते हुए। डॉ. सत्यनारायण दास, सचिव (भारी उद्योग), डॉ. सुरजीत मित्रा, अपर सचिव (भारी उद्योग) और मंत्रालय तथा ई.पी.आई. के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

विषय सूची

संदर्भ सूचना	2
निदेशक मंडल	3
परिचालन क्षेत्र	4
ई.पी.आई. के गत पांच वर्ष के कार्य निष्पादन पर एक नजर	5
वार्षिक आम बैठक की सूचना	6
अध्यक्ष का वक्तव्य	7
निदेशकों की रिपोर्ट	8
निगमित सुशासन पर रिपोर्ट	17
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई घोषणा	22
निगमित सुशासन संबंधी प्रमाण-पत्र	23
प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	24
लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी के उत्तर	28
लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध	30
लेखा विवरण	35
कंपनी अधिनियम 1956 के भाग IV के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना	58
भारत के नियंत्रक और महालेखापरिक्षक की टिप्पणियां और कंपनी द्वारा दिए गए उनके उत्तर	59

संदर्भ सूचना

पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय

कोर-3, स्कोप कॉम्पलैक्स
7, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
टेलीफान : 91-11-24361666
फैक्स : 91-11-24363426
ई-मेल : epico@engineeringprojects.com
वेबसाईट : www.engineeringprojects.com

क्षेत्रीय कार्यालय

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय
50, चौरंगी रोड़, (8वीं - 9वीं मंजील),
कोलकाता - 700 071
फोन : 91-33- 22824426/27/29
फैक्स : 91-33-22824428
ई-मेल : epi@cal.vsnl.net.in

पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई
'बख्ताबर', 6ए, 6वाँ तल
नरीमन प्वाइंट, मुम्बई - 400 021
फोन : 91-22- 22026347/ 22027585
फैक्स : 91-22-22882177
ई-मेल : epilwro@vsnl.net.

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली
द्वितीय तल, कोर-3, स्कोप कॉम्लैक्स,
7, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110 003
फोन : 91.11.24361666
फैक्स : 91.11.24368293
ई-मेल : nromktg@engineeringprojects.com

दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नै
3डी, ईस्ट कोस्ट चैम्बर्स
92, जी.एन. शेट्टी रोड़,
चेन्नै- 600 017
फोन : 91-44-28156886, 28156421, 28157106
फैक्स : 91-44-28156629
म.उंपस : epiro@md4.vsnl.net.in

बैंकर्स

इलाहबाद बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
कैनरा बैंक
एचडीएफसी बैंक
कॉर्पोरेशन बैंक
देना बैंक
आईडीबीआई बैंक
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
पंजाब नेशनल बैंक
जे. एंड के. बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर
सिंडिकेट बैंक
यूनियन बैंक आफॅ इंडिया

लेखा परीक्षक

मैसर्स जे.पी. कपूर एंड उबरॉय
सनदी लेखाकार,
सी-4/5, लोअर ग्राऊंड फ्लोर,
सफदरजंग डेवलेपमेंट एरिया,
नई दिल्ली-110016

शाखा लेखापरीक्षक

मैसर्स नन्दी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
7-सी किरण शंकर रॉय रोड़,
कोलकाता-700001

मैसर्स सिघंवी ओटरकर एंड केलकर
फ्लैट नं. ए-202, दूसरा तल ए विंग
गुलमोर अपार्टमेंटस भंडारी हाल पीएल के पास
काले गुरुजी मार्ग,
दादर (पश्चिम) मुम्बई-400028

मैसर्स शेखर एंड मोहन
शाप नं. 10 प्रथम तल,
नया नं.18 (पुराना नं. 31)
नटेसन गली, टी. नगर, चेन्नई-600 017

निदेशक मण्डल

श्री ए.के. रतवानी
निदेशक (परियोजनाएं)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
का अतिरिक्त प्रभार

डॉ सुरजीत मित्रा
अपर सचिव
भारी उद्योग विभाग

श्री जी.डी. मुरजानी
निदेशक (वित्त)

श्री आर अशोकन
निदेशक
भारी उद्योग विभाग

डॉ. राम एस. तरनेजा
स्वतंत्र निदेशक

श्री अरुण दत्ता
स्वतंत्र निदेशक

श्री ए.के. मित्रा
स्वतंत्र निदेशक

प्रचालन के क्षेत्र

नगर और
प्रतिष्ठित भवन,
पोतपत्तन,
विमानपत्तन
सिविल संरचना,
सड़क, बुनियादी
परियोजनाएं
सामग्री का
रख-रखाव, अन्न रख-रखाव
परियोजनाएं
धातुकर्मीय
परियोजनाएं
औद्योगिक परियोजनाएं
और
प्रक्रिया संयंत्र
जल आपूर्ति
और
पर्यावरणीय इंजीनियरिंग
ऑयल और
पैट्रोकैमिकल
परियोजनाएं
खनन परियोजनाएं
रियल इस्टेट
एक मिनी रत्न कम्पनी
आई.एस.ओ. 9001 एवं आई.एस.ओ. 14001

ईपीआई के गत 5 वर्ष के कार्यानिष्पादन पर एक नजर

Rs. in lacs

विवरण/वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
ए. प्रचालन संबंधी आंकड़े					
कुल कारोबार	38986.07	51203.87	63737.95	76360.86	85105.51
अन्य आय	7283.55	1728.94	1854.51	2065.55	2130.53
कुल आय (क)	46269.62	52932.81	65592.46	78426.41	87236.04
कुल व्यय (ख)	43175.89	51907.22	63917.23	76213.54	84866.95
सकल मार्जिन (क-ख)	3093.73	1025.59	1675.23	2212.87	2369.09
ब्याज	72.18	156.01	203.26	363.99	263.90
मूल्यह्रास	55.38	94.07	140.74	93.79	91.57
कर-पूर्व लाभ (पीबीटी)	2966.17	775.51	1331.23	1755.09	2013.62
अनुषंगी लाभ कर सहित आयकर	शून्य	56.17	92.08	225.42	260.44
कर-पश्च लाभ (पीएटी)	2966.17	719.34	1239.15	1529.67	1753.19
लाभांश	353.77	531.34	708.45	708.45	708.45
लाभांश कर	46.23	72.83	99.36	99.36	136.18
धन कर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.08
प्रतिधारित अधिशेख	2566.17	115.17	431.34	721.86	908.48
कर्मचारियों की संख्या	465	468	469	469	499
इक्विटी शेयरों की संख्या	9094400	9094400	9094400	9094400	9094400
बी. वित्तीय स्थिति					
शेयर पूंजी	3542.27	3542.27	3542.27	3542.27	3542.27
प्रारक्षित एवं अधिशेख	5588.30	5703.47	6134.82	6856.68	7235.82
शेयरधारकों की निधि	9130.57	9245.74	9677.09	10398.95	10778.09
बट्टे खाते न डाले गए की सीमा के विविध व्यय	613.91	409.27	204.63	0.00	0.00
निवल परिसंपत्ति	8516.66	8836.47	9472.46	10398.95	10778.09
सी. वित्तीय अनुपात					
कुल कारोबार के % के रुप में सकल मार्जिन	7.94	2.00	2.63	2.90	2.78
कुल कारोबार के%के रुप में कर-पूर्व लाभ(पीबीटी)	7.61	1.51	2.09	2.30	2.37
निवल परिसंपत्ति के% के रुप में कर-पूर्व लाभ(पीबीटी)	34.83	8.78	14.05	16.88	18.68
निवल परिसंपत्ति के % रुप में कर-पश्च लाभ(पीएटी)	34.83	8.14	13.08	14.71	16.27
प्रति कर्मचारी कुल कारोबार	83.84	109.41	135.90	162.82	170.55
निवल परिसंपत्ति की तुलना में कुल कारोबार कितने गुना)	4.58	5.79	6.73	7.34	7.90
प्रदत्त लाभाशं/कर-पश्च लाभ %	11.93	73.86	57.17	46.31	40.41
प्रति शेयर आय	32.61	7.91	13.63	16.82	19.28
प्रत्येक 38.95 रुपए के प्रति शेयर का					
बही मूल्य (रुपए)	100.40	101.70	106.40	114.30	118.50

सूचना

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के सभी शेयरधारकों को एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की अड़तीसवीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार 26 सितम्बर, 2008 को अपराह्न 3.30 बजे कम्पनी के पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय कोर-3, स्कोप कॉम्पलेक्स (चौथी मंजिल) 7, इंस्टिटयूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में निम्नलिखित कार्य संचालन के लिए आयोजित होगी:-

1. 31 मार्च, 2008 के अनुसार कंपनी के लेखापरीक्षित तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा और उस पर निदेशकों तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टो को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें स्वीकृति प्रदान करना।
2. इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना।
3. निदेशकों की औपचारिक नियुक्ति करना।

ह./-

(कुमुदनी शर्मा)
उप कंपनी सचिव

टिप्पणियां :-

1. कंपनी का सदस्य, जिसे बैठक में भाग लेने और मत देने का अधिकार है, वह इसमें भाग लेने के लिए अपने स्थान पर अपना परोक्षी नियुक्त कर सकता है और ऐसे परोक्षी के लिए सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
2. एतदद्वारा कंपनी के समस्त सदस्यों को दोहरी प्रति में नामांकन फार्म इस अनुरोध के साथ भेज दिए गए हैं कि वे इन्हें भरकर वापस लौटा दें।
3. अपना कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरुप श्री सलीम हमीद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दिनांक 22 दिसंबर, 2007 से आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे।
4. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के दिनांक पहली फरवरी, 2008 के आदेश सं. 16(12)/2001-टीएसडब्ल्यू के अनुसार श्री एन. गोकुलराम, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, औद्योगिक नीति एवं सवंर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नहीं रहे।
5. दिनांक पहली फरवरी, 2008 के आदेश सं. 16(12)/2001-टीएसडब्ल्यू के अनुसार श्री आर. अशोकन, निदेशक, एकीकृत वित्त स्कंध, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग को कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

सेवा में,
ईपीआई के समस्त शेयरधारक
प्रतिलिपि प्रेख़ित :

1. ईपीआई के समस्त निदेशकगण
2. सचिव, भारत सरकार,
   भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय,
   (भारी उद्योग विभाग), उद्योग भवन,
   नई दिल्ली-110011
3. मैसर्स जे.पी. कपूर एंड उबरॉय,
   सनदी लेखाकार,
   लोअर ग्राऊंड फ्लोर, सी-4/5, सफदरजंग डेवलेपमेंट एरिया,
   नई दिल्ली-110016

ह./-

(कुमुदनी शर्मा)
उप कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 सितम्बर, 2008

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारको,

कंपनी की 38वीं वार्षिक महासभा में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वार्षिक महासभा आयोजित करने की सूचना, 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट और तुलन-पत्र आपके पास हैं तथा आपकी अनुमति से उन्हें पढ़ा गया मान लेता हूं। आपको संबोधित करने और कंपनी के कार्यनिष्पादन तथा भावी परिदृश्य पर अपने विचार व्यक्त करने को मैं अपना सौभाग्य मानता हूं।

कार्यनिष्पादन पर्यवलोकन

आपकी कंपनी ने विकास के पथ पर अपनी यात्रा जारी रखी है और 851.06 करोड़ रुपए (गत वर्ष 763.61 करोड़ रुपए) का कुल कारोबार प्राप्त किया है। कर-पूर्व निवल लाभ वर्ष 2006-07 में 17.55 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 20.14 करोड़ रुपए हो गया है। आवास एवं भवन निर्माण कंपनी के कारोबार में सर्वोच्च अंशदाता बने रहे हैं। कारोबार में इस का योगदान 44% था, जिसके बाद 25% पर बांध एवं सिंचाई परियोजना का स्थान रहा।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2007-08 के दौरान चुकता शेयर पूंजी का 10% अंतिरम लाभांश प्रदान किया है और वर्ष 2007-08 के लिए चुकता शेयर पूंजी के और 10% के अंतिम लाभांश की सिफारिश करती हैं, जिससे 35.42 करोड़ रुपए की चुकता शेयर पूंजी पर वर्ष़ के लए कुल लाभांश 20% बैठता है।

चालू वर्ष में 31 अगस्त, 2008 तक आपकी कंपनी ने 908.18 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाएं प्राप्त की हैं और वर्ष 2008-09 के लिए भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों को पार करने के प्रति आशावान है। हाल ही में, अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) ने कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया है और विगत कुछ वर्षों के दौरान कंपनी के लगातार अच्छे कार्यनिष्पादन के मद्देनजर आईएमसी ने कंपनी के लिए मिनी रत्न श्रेणी-II का दर्जा जारी रखने का निर्णय किया है।

भावी परिदृख्य

विगत दशक को आधारभूत ढांचा क्षेत्र को मजबूत बनाने के प्रयासों के रूप में देखा गया है। नीतियां बनाई गई, विनियम अधिनियमित किए गए और बड़ी परियोजनाएं आरंभ की गईं। अगले 4 वर्षों के दौरान ढांचागत क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए का भारी निवेश किया जा रहा है। इसके आलावा, इंजीनियरी क्षेत्र में भारी पूंजीगत निवेश किए जाने की प्रक्रिया जारी है। इस बड़े व्यवसाय अवसर की उपलब्धता ने आपकी कंपनी को अधिक आत्मविश्वासी और महत्वकांक्षी की बनाया है। तथापि, हमें अपनी कार्यशैली को संवारने, विविधीकृत करने और नए व्यवसाय अवसरों की आक्रामकता से खोज करने की आवक्यकता है। इस दिशा में आपकी कंपनी ने अगले 10 वर्षों के लिए व्यवसाय योजना, जिसे शीघ्र ही क्रियान्वित किया जाएगा, तैयार करने हेतु एक प्रसिद्ध अंतराष्ट्रीय सलाहकार को पहले ही नियुक्त कर लिया है। इससे आपकी कंपनी को महत्वपूर्ण सक्षमताओं को मजबूत बनाने और उच्च आय वाले खंडों में विविधीकरण सहित सावधानीपूर्वक चुने गए व्यवसाय क्षेत्रों में मजबूती से विकास करने में सहायता मिलेगी।

निगमत सुशासन

आपकी कंपनी अपने प्रचालनों के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और समानता में विश्वास रखती है तथा उच्चतम महत्व देती है। यह हित धारकों के दीर्घावधि मूल्य में वृद्धि करने हेतु नगमित सुशासन के उच्चतम स्तर के मानक प्राप्त करने के लिए सतत प्रयासरत है। कंपनी में अनुपालन की जा रही निगमित सुशासन पद्धतियों संबंधी एक अलग रिपोर्ट नदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है।

आभार

किसी भी उपलब्धि हेतु मानवीय योगदान की आवश्यकता होती है और ईपीआई का विकास भी कोई अलग बात नहीं है। मैं निदेशक मंडल और अपनी और से अपने समर्पित तथा सक्षम कर्मचारियों के कठिन परिश्रम के लिए प्रशंसा को रिकार्ड में दर्ज करना चाहता हूं, जिनके वास्तविक और सतत प्रयासों ने उत्कृख्ट परिणाम प्रदान किए है। मैं निदेशक मंडल के सदस्यों, शेयरधारकों, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय और अन्य समर्थन के लिए आभारी हूं। मैं अपने बहुमूल्य ग्राहकों, व्यवसाय सहयोगियों और बैंकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आपकी कंपनी में अपना विवश्वास बनाए रखा है।

मैं भविष्य में भी कंपनी के विकास के लिए आपके निरंतर सहयोग की आशा करता हूं।

ह./-

(ए. के रतवानी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध नदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

निदेशकगण आपकी कंपनी के कार्य संचालन की अड़तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का लेखापरीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न हैं।

1. प्रमुख वित्तीय विशेषताएं

आपकी कंपनी ने इस वर्ष के दौरान 23.69 करोड़ रुपए (गत वर्ष 22.12 करोड़ रुपए) का सकल मार्जिन अर्जित किया तथा 0.92 करोड़ रुपए (गत वर्ष 0.94 करोड़ रुपए) का मूल्यह्रास और 2.64 करोड़ रुपए (गत वर्ष 3.64 करोड़ रुपए) का ब्याज भारित करने के उपरांत 20.14 करोड़ रुपए (गत वर्ष 17.55 करोड़ रुपए) का कर-पूर्व निवल लाभ अर्जित किया है। इस प्रकार, आपकी कंपनी अपने समग्र कार्यनिष्पादन में लगातार सुधार करने में समर्थ रही है।

कंपनी के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम निम्नलिखित हैं :-

(लाख रुपए)

	विवरण	2007.08	2006.07
1.	कुल कारोबार	85105.51	76360.86
2.	सकल मार्जिन	2369.09	2212.87
3.	ब्याज	263.90	363.99
4.	मूल्यह्रास	91.57	93.79
5.	कर-पूर्व निवल लाभ	2013.62	1755.09
6.	कर (एफबीटी सहित)	260.43	225.42
7.	कर-पश्चात निवल लाभ	1753.19	1529.67
8.	निवल परिसंपत्ति	10778.09	10398.95

2. कार्यनिष्पादन

वर्ष 2007-08 के दौरान आपकी कंपनी ने गत वर्ष की तुलना में 11.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए गत वर्ष के 763.61 करोड़ रुपए के कारोबार की तुलना में 851.06 करोड़ रुपए का कारोबार प्राप्त किया और 539.16 करोड़ रुपए (गत वर्ष 425.06 करोड़ रुपए) मूल्य की परियोजनाएं पूरी की।

3. पूंजीगत ढांचा

कंपनी की प्राधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः 909.40 करोड़ रुपए और 35.42 करोड़ रुपए बनी रही।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भवन, मुम्बई

4. लाभांश और प्रारक्षित निधि

आपके निदेशकगण ने जनवरी, 2008 में घोषित चुकता शेयर पूंजी के 10% की दर पर अंतरिम लाभांश के अलावा 10% के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इस प्रकार कंपनी की चुकता शेयर पूंजी पर (वर्ष 2007-08 के लिए) कुल लाभांश 20% हो गया है। अंतिम लाभांश का भुगतान कंपनी की वार्ष़िक महासभा में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किया जाएगा। वर्ष 2007-08 के लिए लाभांश और लाभांश-कर के कारण कुल व्यय क्रमशः 7.08 करोड़ रुपए और 1.36 करोड़ रुपए (गत वर्ष क्रमशः 7.08 करोड़ रुपए और 0.99 करोड़ रुपए) होगा।

आपके निदेशकगण ने 1.50 करोड़ रुपए (गत वर्ष 1.50 करोड़ रुपए) की राशि को कंपनी की सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित करने और शेख़ लाभों को अग्रेनीत करने की सिफारिश की है। तद्नुसार, 31 मार्च, 2008 के अनुसार 67.94 करोड़ रुपए (गत वर्ष 65.65 करोड़ रुपए)की राशि आपकी कंपनी के "प्रारक्षित अधिशेष खाते" में उपलब्ध रहेगी।

5. आदेश पुस्तिका स्थिति

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी 3783.40 करोड़ रुपए मूल्य की 88 परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही है।

6. विपणन संबंधी उपलब्धियां

वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी ने 1037.90 करोड़ रुपए मूल्य की 21 परियोजनाएं प्राप्त की हैं। प्राप्त कुछ मुख्य परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :-

(लाख में रुपए)

क्रम स.	परियोजना	ग्राहक	मूल्य
I	सीतापुर रोड़, लखनऊ में नए सीडीआरआई परिसर का निर्माण (निक्षेप आधार पर)।	केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआई), लखनऊ	135.13
II	सागर (मध्य प्रदेश) में मेडिकल कॉलेज और 750 बिस्तरे वाले शिक्षण अस्पताल का निर्माण।	मध्य प्रदेश आवास बोर्ड परियोजना मंडल, सागर (मध्य प्रदेश)	114.30
III	हरनौत, जिला लानंदा (बिहार) में बीजी रेल डिब्बों के लिए कैरेज पीरियाडिक आवेरहॉलिंग वर्कशाप का निर्माण।	पूर्वी-मध्य रेलवे, पटना	105.66
IV	जिला कुरनूल, आंध्र प्रदेश में सीएमएवंसीडी निर्माण कार्यों सहित पहुंच एवं संपर्क चैनल की खुदाई।	एचएनएसएल सर्किल-रू सिंचाई एवं सीएडी विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार, कुरनूल	88.29
V	सिंचाई एवं सीएडी विभाग, तेलुगू गंगा परियोजना सर्किल, नांदियाल के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना।	सिंचाई एवं सीएडी विभाग आन्ध्र प्रदेश सरकार, नांदियाल	72.63
VI	निक्षेप आधार पर लेबूंचेरा, अगरतला (त्रिपुरा) में कृषि महाविद्यालय का निर्माण।	लोक निर्माण विभाग, त्रिपुरा सरकार, बिशालगढ़, पश्चिम त्रिपुरा	62.55
VII	विशालगढ़, पश्चिम त्रिपुरा में आयोजना, डिजाइन और विस्तृत इंजीनियरी सहित केन्द्रीय कारागार का निर्माण (टर्नकी आधार पर)	निदेशक कृख़ि, त्रिपुरा सरकार अगरतला त्रिपुरा	58.71
VIII	जिला करीमनगर, आन्ध्र प्रदेश में मुख्य नहर के सीडी एवं सीएम तथा वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य।	सिंचाई एवं सीएडी विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार	50.50
IX	निक्षेप आधार पर चुरायबाड़ी (त्रिपुरा) में चुरायबड़ी जांच पोस्ट का आधुनिकरण।	कर आयुक्त, त्रिपुरा सरकार, अगरतला	45.79
X	छोटे एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी ढांचा विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के अतर्गत ताड़ीपत्री नगरपालिका में विभिन्न स्थानों पर सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण।	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं नगरपालिका इंजीनियरी विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	35.54
XI	कोयिलेंडी मच्छली बंदरगाह, कोझिकोड, केरल में उत्तरी और दक्षिणी दिशा में जल-विभाजकों का निर्माण।	बंदरगाह इंजीनियरी विभाग कमलेश्वरम, तिरूवनंतपुरम	32.82
XII	झारखंड राज्य में तकनीकी संस्थानों का निर्माण एवं रख-रखाव।	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, झारखंड सरकार, रांची	32.00
XIII	कोलकाता पर्यावरण सुधार परियोजना के लिए हाऊस कनैक्शन लॉट-1 सहित कोरफ-XIV के लिए सीवर एवं नाले का निर्माण।	कोलकता पर्यावरण सुधार परियोजना-कोलकाता	28.48
XIV	गुंतक आन्ध्र प्रदेश में 2000 मि.ली. क्षमता के अतिरिक्त ग्रीष्म कालीन भंडारण टैंक का निर्माण।	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं नगरपालिका इंजीनियरी विभाग आन्ध्र प्रदेश सरकार	26.73

इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में 30 जून, 2008 तक कम्पनी 908.18 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं पहले ही प्राप्त कर चुकी है और भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निर्धारित 1200 करोड़ रुपए के आदेश प्राप्ति के लक्ष्य को पार कर लिए जाने की आशा है।

7. समझौता ज्ञापन के अधीन कार्यनिष्पादन मूल्यांकन

वर्ष 2006-07 के लिए आपकी कंपनी के कार्यनिष्पादन को लोक उद्यम विभाग द्वारा "उत्कृष्ट" का दर्जा प्रदान किया गया है। यह लगातार तीसरा वर्ष है, जिसमें कंपनी के कार्यनिख़्पादन को लोक उद्यम विभाग द्वारा "उत्कृष्ट" का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2007-08 के लिए भी कंपनी के लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर आपकी कंपनी का कार्यनिष्पादन "उत्कृष्ट श्रेणी" का रहा है।

8. निगमित सुशासन

कंपनी का विश्वास है कि अच्छी निगमित सुशासन पद्धतियों से दीर्घावधि में इसके सभी हितधारकों के लिए धन-दौलत की उत्पत्ति होती है। कंपनी द्वारा अनुपालन की जा रही निगमित सुशासन पद्धतियों संबंधी रिपोर्ट और प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

9. गुणवत्ता और पर्यावरणीय प्रबंधन

ईपीआई गुणवत्ता और पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणालियां (क्यूईएमएस) शामिल करते हुए आईएसओ 9001: 2000 और आईएसओ 14001 : 2004 प्रमाणित कंपनी है। प्रमाणीकरण के कार्यक्षेत्र में बहुविषयी औद्योगिक और अन्य निर्माण परियोजनाओं की संकल्पना से लेकर चालू करने तक की डिजाइन, अधिप्राप्ति और कार्यान्वयन शामिल हैं। क्यूईएमएस का अनुपालन करने के दृष्टिगत कंपनी को क्यूईएमएस प्रमाणन अर्थात आईएसओ 9001:2000 प्रमाणित किया गया है।

10. सतर्कता गतिविधियां

वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीकी उन्नति का उपयोग करते हुए अपने प्रचालनों में पारदर्शिता की वृद्धि के लिए कई नई पहलें की गई हैं। सभी निविदाएं व्यापक प्रचार द्वारा आमंत्रित की जाती हैं। आपकी कंपनी ने निरीक्षण की बेहतर गुणवत्ता के माध्यम से सुधरी हुई निवारक सतर्कता के लिए उपाय किए हैं।

11. मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी को अपने मानव संसाधन उपयोग पर गर्व है, जिनके सहयोग से कंपनी ने मीलों का सफर तय किया है और भविष्य में तेजी से प्रगति करेगी। कंपनी का विश्वास है कि इसकी व्यवसाय योजनाओं के पूरा होने पर कंपनी के कर्मचारियों में भी उचित वृद्धि की जानी चाहिए। दिनांक 31 मार्च, 2008 के अनुसार कंपनियों के पास 499 कर्मचारियों का एक सशक्त बल था।

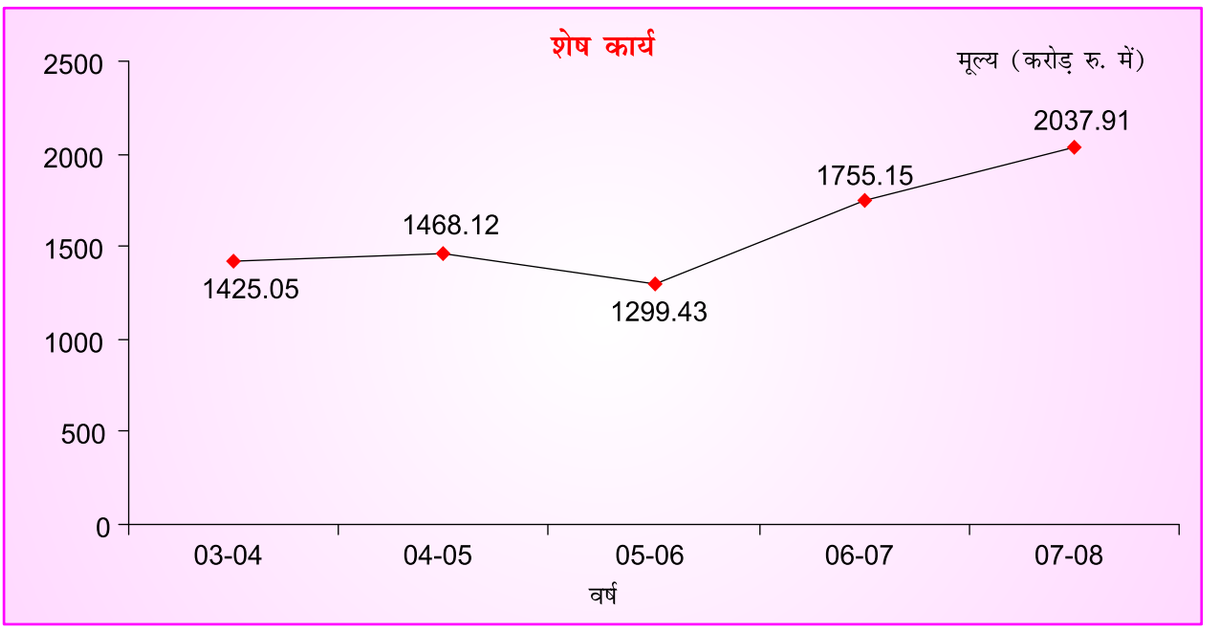

12. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिक

दिनांक 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार कंपनी की नामावली पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या 111 थी, जो कुल संख्या का 22.24% थी।

13. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति

सामाजिक तौर पर एक सचेत संगठन के रूप में अपनी भूमिका पर ध्यान देते हुए कंपनी अपने कार्यबल में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का उत्तरदायित्व लेने का प्रयास करती रही है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नियमों/नीति के अनुसार आरक्षण दिया जा रहा है। कंपनी द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को हाथ वाले इंजन युक्त तिपहिया वाहन के लिए अग्रिम, बढ़ी हुई परिवहन आर्थिक सहयाता इत्यादि देने जैसे विभिन्न प्रयास भी किए जा रहे हैं।

14.राजभाषा का प्रचार-प्रसार

आपकी कंपनी ने राजभाषा के प्रयोग का संवर्धन करने के लिए गंभीर प्रयास किए। राजभाख़ा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं और समिति के निर्णयों को कार्यान्वित किया गया। हिन्दी पखवाड़ा के दौरान श्रुतलेख, टिप्पण-आलेखन, निबंध लेखन, हस्ताक्षर, वाद-विवाद, चित्र अभिव्यक्ति, क्विज़, कविता पाठ आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, पुरस्कारों और व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। कर्मचारियों के बच्चो की प्रतिभा पुरस्कार योजना के माध्यम से हिन्दी विख़य में उनके बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए पुरस्कृत किया गया।

15. विदेश यात्रा, मनोरंजन और विज्ञापन/प्रचार पर व्यय

समीक्षाधीन वर्ख़ के दौरान विदेश यात्रा पर कुल 11.89 लाख रुपए (गत वर्ख़ 44.26 लाख रुपए), बांड प्रोन्नति पर 24.23 लाख रुपए (गत वर्ख़ 13.86 लाख रुपए) तथा विज्ञापन/प्रचार पर 25.61 लाख रुपए (गत वर्ख़ 14.62 लाख रुपए) व्यय किए गए।

16. प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता

सरकारी निदेशों को ध्यान में रखते हुए ईपीआई में वर्ख़ 2007-08 के दौरान प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता बरतने के प्रयास किए गए।

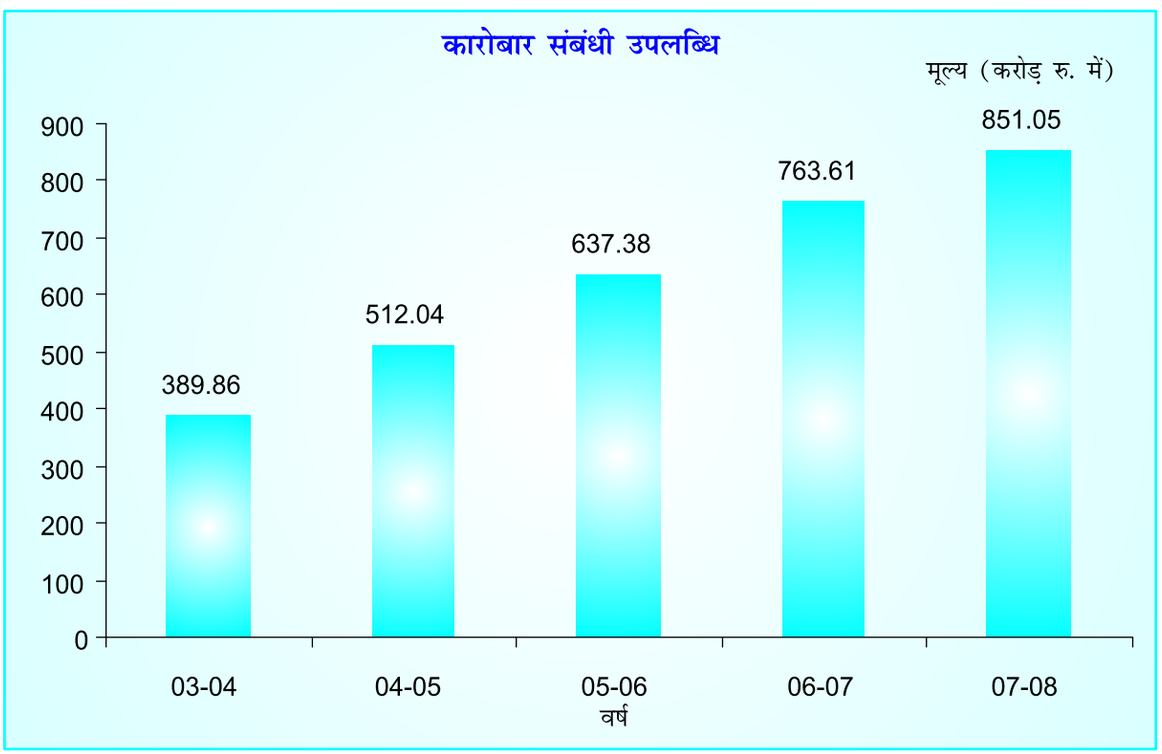

17. निदेशक मंडल

कंपनी के निदेशक मंडल में आठ सदस्य शामिल हैं, जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित तीन प्रकार्यात्मक निदेशक हैं, प्रशासनिक मंत्रालय से अंशकालिक सरकारी निदेशकों के रूप में दो निदेशक हैं और विभिन्न क्षेत्रों से लिये गए तीन निदेशक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक हैं। पिछली वार्षिक महासभा की तारीख के बाद से कंपनी के निदेशकगण में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :-

श्री सलीम हमीद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अपना कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 22.12.2007 से कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं रहे।

श्री एन. गोकुलराम, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, औद्योगिक नीति एवं सवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के दिनांक 1 फरवरी, 2008 के आदेश सं. 16(12)/2001-टीएसडब्ल्यू के अनुसार आपकी कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक नहीं रहे।

श्री आर. अशोकन, निदेशक, एकीकृत वित्त स्कंध, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के दिनांक 1 फरवरी, 2008 के आदेश सं. 16(12)/2001-टीएसडब्ल्यू द्वारा दिनांक 01.02.2008 से निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

18 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अधीन, निदेशकगण एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं :-

(i) यह कि वार्षिक खातों को तैयार करते समय प्रयोज्य लेखा-मानकों का पालन किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण विपथनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण भी सम्मिलित हैं।

(ii) यह कि निदेशकों ने ऐसी लेखा-नीतियों का चुनाव किया है और उन्हें कठोरतापूर्वक लागू किया है और ऐसे फैसले और आकलन किए हैं, जो उपयुक्त और विवेकपूर्ण हैं, जिसमें 31 मार्च, 2008 के अनुसार कंपनी की कार्यस्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष की कंपनी के लाभ की सही और स्पष्ट तस्वीर सामने आए।

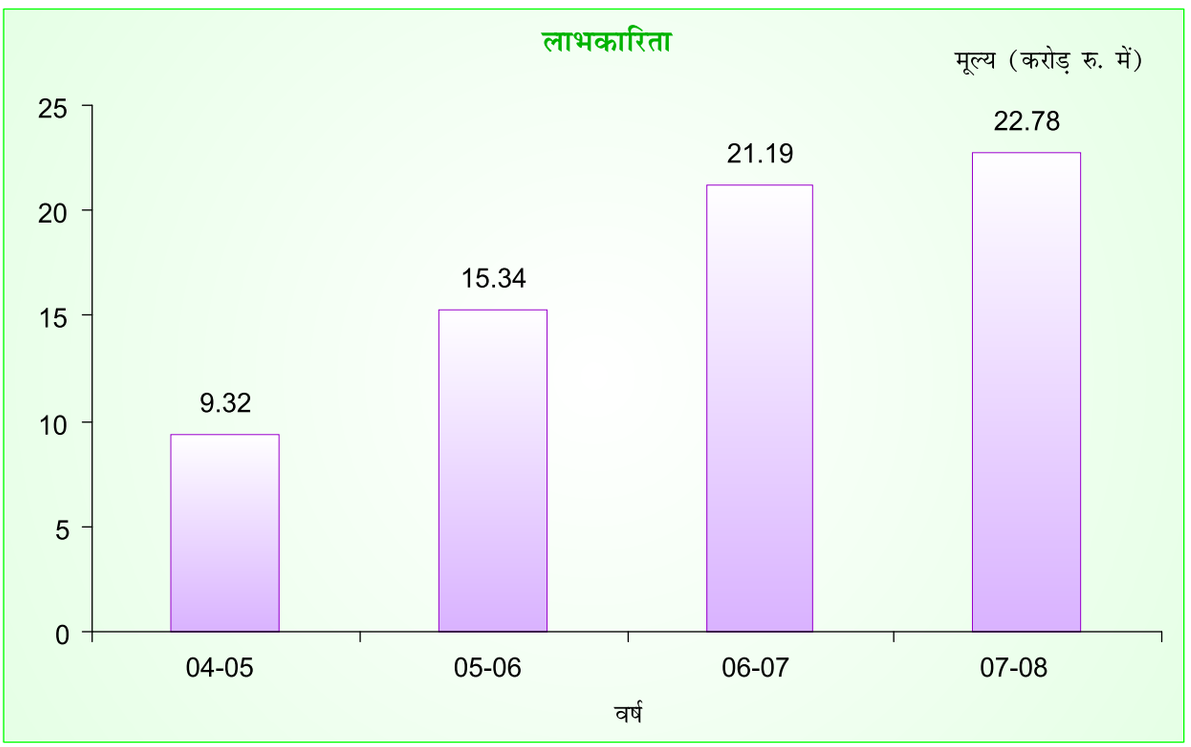

(iii) यह कि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा जालसाजी और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम,1956 के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा-रिकार्डों के अनुरक्षण हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

(iv) यह कि वार्षिक खातों को कार्यरत संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है।

19. लेखापरीक्षक

वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए मैसर्स जे.पी.कपूर एण्ड उबरॉय, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। मैसर्स नंदी एण्ड एसोसिएट्स, मैसर्स ओरटकर एंड केलकर और मैसर्स शेखर एंड मोहन को क्रमशः पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए शाखा लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी द्वारा दिए गए उसके उत्तर रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां तथा कंपनी द्वारा दिए गए उनके उत्तर इस रिपोर्ट के संलग्नक में दी गई हैं।

20. विवरणों का प्रकटन

कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 217 (1)(ङ) के अनुसार, कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटन) नियमों, 1988 के साथ पठनीय, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश तथा विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय की सूचना निम्नानुसार दी जा रही है :-

20.01 ऊर्जा का संरक्षण

कंपनी के कार्यकलापों में विनिर्माण प्रक्रियाओं में ऊर्जा का प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं होता, तथापि ऊर्जा खपत स्तरों को कम करने में भारी महत्व और बलवर्धक तथा पुनः उत्पादन वाली प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पुनः प्रयोग पर ऊर्जा के उपयोग वाले संयंत्रों, उपस्करों और प्रक्रियाओं के डिजायन बनाने वालों द्वारा लगातार ध्यान केंद्रित रखा जाता है। ताप विनिमय प्रक्रियाओं, तापन, प्रशीतन भस्मीकरण इत्यादि के साथ रसायनिक अनुक्रिया वाली परियोजनाओं में प्रयोग किए जाने वाले डिजाइनों के लिए

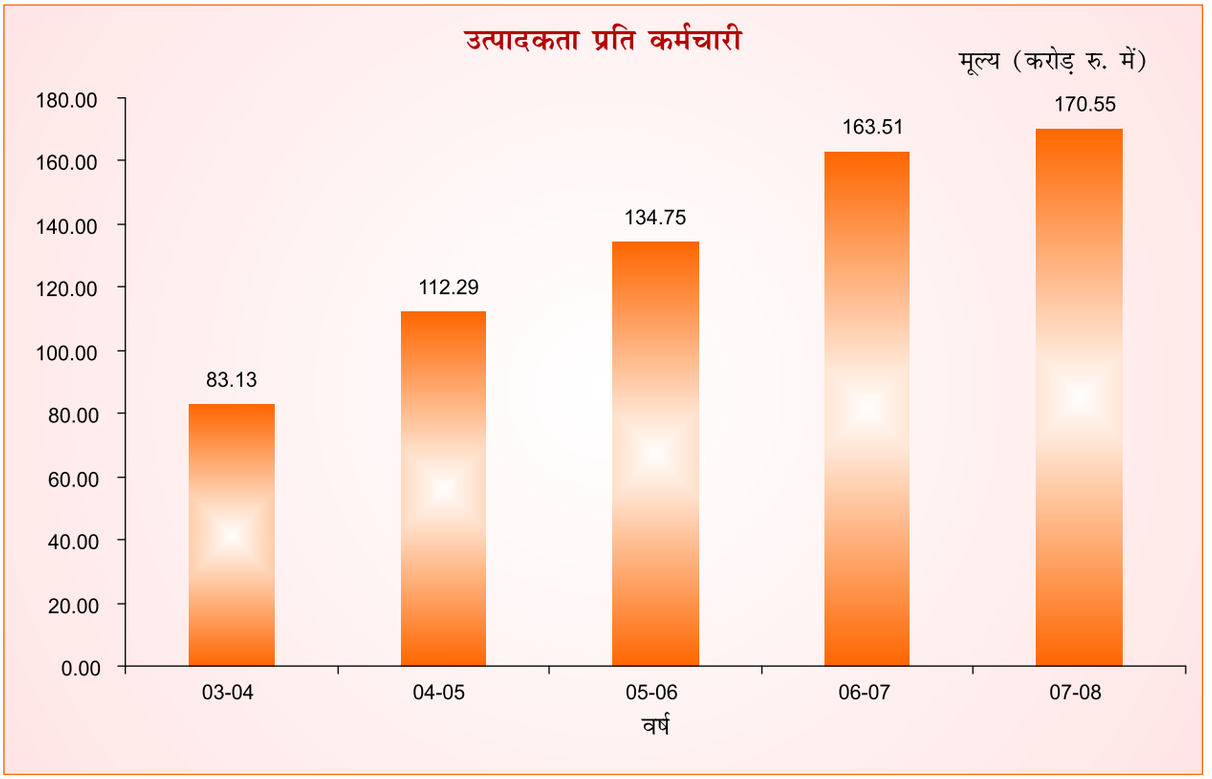

विशिष्ट खपत के स्तरों को कम करने और इष्टतम ऊर्जा बचत के साथ अधिकतम संरक्षण को ऊर्जा दक्ष उपस्कर, व्यर्थ ऊर्जा के बलवर्धकों, बढ़ी हुई इंसुलेटिंग विशेख़ताओं के साथ उन्नत निर्माण सामग्रियों को डिजिटल सेंसिंग, नियंत्रण और संकेत प्रौद्योगिकियों पर आधारित आधुनिक प्रक्रिया नियंत्रण प्रणालियों के साथ मिलकर प्राप्त किया जाता है।

20.02 प्रौद्योगिकी समावेश

(क) अनुसंधान और विकास

प्रमुख परियोजना क्रियान्वयन संगठन होने के कारण, आपकी कंपनी विदेशों से आयात की आवश्यकता न्यूनतम करते हुए उन्नतशील प्रौद्योगिकियों की चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय दक्षता, सामग्री और विधियां विकसित करने के उद्देश्य से आपकी डिजाइन और इंजीनियरी गतिविधियां आयोजित करने का लक्ष्य रखती है। अनुसंधान और विकास कार्यकलाप कार्यनिष्पादन, क्षमता, उत्पाद चक्र अवधि सुधारने, उन्नत प्रौद्योगिकियां अपनाते समय लागत की कमी प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने सहित प्रचालन के सभी मुख्य क्षेत्रों में उच्च स्तरीय ध्यान देता है। आयात पर निर्भरता कम करने के साथ भारतीय दशाओं के अधीन प्रचालन करते समय डिजाइन की सुधरी हुई विशेषताएं और सामग्री के प्रयोग लिए भी विशिख़्ट बल दिया जाता है। प्राकृतिक रेशा-आधारित सामग्रियों का मृदा इंजीनियरी में सफल प्रयोग, नदी तट संरक्षण में भू-वस्त्र का प्रयोग तथा बड़े आकार के पुनर्बलित कंक्रीट की ढलाई में उन्नत तकनीकों का प्रयोग कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां देशी रूप से विकसित सामग्रियों और प्रक्रियाओं ने कंपनी को निर्माण उद्योग में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। आंतरिक डिजाइन, इंजीनियरी और यूरेनियम अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए विशिख़्ट उपस्करों को अपनाए जाने ने भी आपकी कंपनी की स्थिति को और सुदृढ़ किया है।

(ख) प्रौद्योगिकी समावेश

अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रशंसनीय आईएसओ 9001: 2000 के प्रमाणीकरण, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 14001: 2004 (उन्नयित) प्रदान किए जाने से कंपनी अपने प्रचालनों की संपूर्ण श्रृंखला को पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली में शामिल किए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात संगठनों के साथ सहयोग के माध्यम से अद्यतन प्रौद्योगिकी अधिग्रहित और समावेशित करने

माइक्रो टनलिंग मशीन

कोयला हैंडलिंग संयत्र, उत्तर चेन्नै

के अपने निरंतर प्रयास से कंपनी अद्यतन प्रौद्योगिकी के लाभ ला रही है। संगठन के पास उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकियों में अम्ल सांद्रण संयंत्र रसायन प्रक्रिया संयंत्र, रेयर अर्थस इत्यादि के निष्कर्षण के लिए विशिष्ट अयस्क सुधार सुविधाएं शामिल हैं।

आधुनिक औद्योगिक परियोजनाओं की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विशिष्ट परियोजना-आधारित सहयोगों की भी व्यवस्था की जाती है। भारतीय परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकीय सहयोगों को प्रचालित करने की विधि भारतीय दशाओं के समान होने और आयातित मूल के प्रतिस्थापी संघटकों के भारतीय विनिर्माताओं के विकास के लिए तकनीकी विशेख़ताएं अपनाना सुनिश्चित करती है। आंतरिक, विस्तृत इंजीनियरी कार्यकलापों के साथ डिजाइन, विनिर्माण, एसेम्बली, उत्थापन और संस्थापन को शामिल करते हुए सभी चरणों में तकनीकी सहयोगकर्ताओं के साथ घनिख़्ठ संपर्क से अद्यतन प्रौद्योगिकियों का समावेशन क्रमिक रूप से प्राप्त किया जाता है। अद्यतन प्रौद्योगिकियों के समावेशन द्वारा प्राप्त सुदृढ़ स्थिति ने आपकी कंपनी को देश में व्यवसाय प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। विभिन्न क्षेत्रों में अद्यतन विकास और उद्योगों के वैश्वीकरण के प्रभाव में नई प्रवृत्तियों से अवगत रहने के लिए आपकी कंपनी द्वारा सतत् प्रयास किया जाता है।

20.03 विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

वर्ष 2007-08 के दौरान डिजाइन एवं परामर्श उपस्करों और कल पुर्जों तथा विदेश यात्रा पर हुए व्यय के कारण 470.87 लाख रुपए (गत वर्ष 44.26 लाख रुपए) तक की विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ और आपकी कंपनी ने 53.78 लाख रुपए (गत वर्ष-शून्य) की विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

21. धारा 217(2क) के अधीन यथापेक्षित कर्मचारियों के संबंध में सांविधिक सूचना

दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई भी कर्मचारी प्रतिमाह 2,00,000/-रुपए अथवा प्रतिवर्ख़ 24,00,000/-रुपए से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था।

22. आभार-प्रदर्शन

आपके निदेशकगण भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और संगठनों तथा राज्य सरकारों से प्राप्त सहयोग और समर्थन की हृदय से प्रशंसा करते हैं। आपके निदेशकगण उनमें व्यक्त विश्वास के लिए विभिन्न ग्राहकों और बैंकों का धन्यवाद करते हैं तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में उप-संविदाकारों, विक्रेताओं, परामर्शदाताओं के सहयोग की प्रशंसा करते हैं। आपके निदेशकगण सरकारी लेखापरीक्षकों और सांविधिक लेखापरीक्षकों का उनके सुझावों के लिए धन्यवाद करते है। आपके निदेशकगण ईपीआई के विकास में सहयोग देने के लिए ईपीआई परिवार के प्रत्येक सदस्य के समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए अपनी प्रशसा रिकार्ड में दर्ज करना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का यह अपार समर्थन ईपीआई की वर्तमान सफलता का अभिन्न हिस्सा रहा है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह./-

ए.के. रतवानी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : सितंबर, 9, 2008

निगमित सुशासन पर रिपोर्ट

1. निगमित सुशासन संबंधी कंपनी की विचारधारा

इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई) अपने प्रचालनों के सभी पहलुओं में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और समानता में दृढ़ विश्वास रखता है और सर्वोच्च महत्व प्रदान करता है। ईपीआई दीर्घावधिक हितधारक मूल्य में वृद्ध करने के लिए निगमित सुशासन के उच्चतम स्तर के मानक प्राप्त करने हेतु सतत् प्रयास करता रहता है। ईपीआई ने निगमित सुशासन की संहिता संबंधी विचारधारा अपनाई है, जोकि निम्नलिखित हैं-

कंपनी के सभी हितधारकों के लिए मूल्य स्थापित करने हेतु व्यावसायिकता का प्रयोग करना और प्रभावी, उत्तरदायी एवं पारदर्शी बनाना।

निदेशक मंडल की संरचना निदेशकों की श्रेणी और उनके कार्यकाल तथा निदेशक मंडल की बैठकों और महासभा बैठकों में उनकी उपिस्थति, अन्य धारित निदेशक के पदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

नाम	बैठकों में उपिस्थति	वार्षिक महासभा में उपिस्थति	अन्य निदेशक पद	अवधि
(क) प्रकार्यात्मक निदेशक				
श्री सलीम हमीर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डी.आई.एन 00267980	3/3	हाँ	शून्य	22.12.97- 21.12.07
श्री ए. के. रतवानी, निदेशक (परियोजना) (दिनांक 22.22.2007 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार धारण किए हुए) डी.आई.एन 00730349	4/4	हाँ	शून्य	01.09.06- 31.08.11
जी.डी. मूरजानी निदेशक (वित्त) डी.आई.एन 01454008	4/4	हाँ	शून्य	11.04.07- 31.08.10
(ख) सरकारी नामिती				
श्री एन. गोकुलराम, अपर सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय डी.आई.एन 00267160	2/4	नहीं	3	23.01.07- 01.02.08
श्री डी.आर.एस. चौधरी, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय डी.आई.एन 00269508	0/0	लागू नहीं	2	06.03.07- 26.04.07
डॉ. सुरजीत मित्रा अपर सचिव, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय डी.आई.एन 00122304	4/4	नहीं	7	26.04.07 अगले आदेश होने तक
श्री आर. अशोकन, निदेशक, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय डी.आई.एन 01079166	0/0	लागू नहीं	4	01.02.08- अगले आदेश होने तक
(ग) स्वतंत्र निदेशक				
श्री अरूण दत्ता डी.आई.एन 00180069	1/4	हाँ	6	14.09.05- 13.09.11
डॉ. राम एस. तरनेजा डी.आई.एन 00009395	3/4	हाँ	20	26.02.06- 25.02.09
श्री अंजन कुमार मित्रा डी.आई.एन 00888372	4/4	हाँ	1	11.05.07- 10.05.10

2. निदेशक मंडल

ईपीआई का निदेशक मंडल केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशा-निर्देशों और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उपयुक्त रूप से गठित है। इसमें आठ सदस्य शामिल हैं, जिनमें से तीन प्रकार्यात्मक निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित) हैं, दो सरकारी नामिती हैं और तीन स्वतंत्र निदेशक हैं। कंपनी के स्वतंत्र निदेशक प्रबंधन, इंजीनियरी, अर्थशास्त्र और लेखा के क्षेत्रों से शामिल किए गए हैं। निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के संस्था अंतर नियमों के अनुच्छेद 68 के अनुसार भारत सरकार द्वारा की गई है।

कंपनी के निदेशक मंडल की नियमित अंतरालों पर चार बैठकें (दिनांक 21.06.2007, 01.08.2007, 30.10.2007 और 17.1.2008) आयोजित की गई और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सूचनाएं निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई।

निदेशक मंडल में शामिल निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

(i) श्री ए.के. रतवानी (51 वर्ष)-श्री ए. के. रतवानी ने ईपीआई में निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में सितम्बर, 2006 में कार्यभार ग्रहण किया था और 22 दिसम्बर, 2007 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार धारण किए हुए है। श्री रतवानी सिविल इंजीनियर हैं और विपणन में एमबीए को योग्यता रखते हैं। श्री रतवानी के पास विपणन, परियोजना प्रबंध, परियोजना कार्यान्वयन और भूमि संपदा परियोजनाओं में 30 वर्ष से भी अधिक का समृद्ध एवं व्यापक अनुभव है। श्री रतवानी ने भारत और विदेश, दोनों में विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं का कार्य किया है। ईपीआई में कार्य-भार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने निर्माण कार्य में संलग्न संगठनों और सरकारी उपक्रमों में 28 वर्ष से भी अधिक कार्य किया है। परियोजना-प्रबंध और कार्यान्वयन में अपने व्यापक अनुभव के अधार पर कंपनी के संसाधनों के बेहतर प्रबंध हेतु इसके प्रचालनों को व्यस्थित किया है, जिसकेपरिणामस्वरूप ईपीआई के प्रचालनों में दक्षता आई है और लाभकारिता में सुधार हुआ है। उनकी विपणन कुराग्रता के कारण ईपीआई की आदेश प्राप्त करने की वर्तमान स्थिति में गत वर्षों की तुलना में काफी वृद्धि हुई है।

(ii) श्री जी.डी. मूरजानी (58 वर्ष)-श्री जी.डी. मूरजानी अप्रैल, 2007 से निदेशक (वित्त) हैं और निगमित वित्त एवं प्रबंध में 30 वर्ष से भी अधिक का समृद्ध अनुव रखते हैं। निदेशक मंडल में निदेशक (वित्त) का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री मूरजानी कंपनी में कार्यपालक निदेशक (वित्त) एवं कंपनी सचिव थे। वे वार्ष़िक वित्तीय योजना, बजटीय नियंत्रण, नकदी प्रबंध और अन्य मामलों सहित कंपनी के समग्र वित्तीय प्रबंध के संबंध में निर्देश देते हैं। वे कंपनी के निगमित सुशासन संबंधी ढांचे के संबंध में भी निर्देश देते हैं। वे इंस्टीच्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया और इंस्टीयूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया के सदस्य हैं।

(iii) डॉ. सुरजीत मित्रा (55 वर्ष)-डॉ. सुरजीत मित्रा, अपर सचिव, भारत सरकार ने ईपीआई के निदेशक मंडल में भारत सरकार के नामिति के रूप में 26 अप्रैल, 2007 को कार्यभार ग्रहण किया था। भारी उद्योग विभाग में अपर सचिव के रूप में अपने कार्यकाल से पहले डॉ. मित्रा ने विभिन्न महत्वपूर्ण पद धारित किए हुए थे, जिनमें संयुक्त सचिव (भारी उद्योग विभाग), वाणिज्य मंत्रालय में एस्कप, एशियन के लिए संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार और प्रधान सचिव (आयोजना एवं विकास) असम सरकार शामिल हैं। डॉ. मित्रा को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का भारी रूप एवं व्यापक अनुभव प्राप्त है; यथा ग्रामीण विकास, पर्यटन, संचार, रक्षा, गृह मंत्रालय, वाणिज्य, पेट्रोलियम, उत्तर-पूर्वी विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। डॉ. मित्रा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (यू.के.) से अर्थशास्त्र में आचार्य हैं। डॉ. मित्रा द्वारा प्राप्त प्रशासनिक एवं शैक्षणिक सम्मानों में क्वीन ऐलीजाबेथ सदस्यता, ऑक्सफोर्ड विद्यालय, अतर्राष्ट्रीय व्यापार और नीति अनुसंधान केन्द्र (दक्षिण-दक्षिण सहयोग) में मानक प्रोफेसर शामिल हैं। डॉ. मित्रा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटिड, एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड, एचएमटी लिमिटेड, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी नामित निदेशक हैं।

(IV) श्री आर. अशोकन (52 वर्ष)-श्री आर अशोकन भारत सरकार, भारी उद्योग विभाग के एकीकृत वित्त स्कंध में निदेशक हैं। आपने नामिति निदेशक के रूप में ईपीआई के निदेशक मंडल में 01.02.2008 से कार्यभार ग्रहण किया है। श्री अशोकन लागत एवं निर्माण लेखाकार और वाणिज्य में

स्नातकोत्तर हैं। भारी उद्योग विभाग में अपने कार्यकाल से पूर्व श्री अशोकन ने आर्थिक कार्य विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (बीआईसीपी, प्रशुल्क आयोग), व्यय विभाग कंपनी कार्य विभाग और उर्वरक विभाग में कार्य किया है। वर्ष 1989 में भारतीय लागत लेखा सेवा में आने से पूर्व श्री अशोकन ने 9 वर्ष तक नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लिमिटेड में कार्य किया है। श्री अशोकन सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, नेपा लिमिटेड और हैवी इंजीनीयरिंग कारपोरेशन के निदेशक मंडलों में भी नामित निदेशक हैं।

(V) श्री अरूण दत्ता (61 वर्ष)-श्री अरूण दत्ता को ईपीआई के निदेशक मंडल में 3 वर्ख़ की अवधि के लिए दिनांक 14.09.2005 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा श्री दत्त के कार्यकला को दिनांक 14.09.2008 से 3 वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया गया है। श्री दत्ता मैकेनिकल इंजीनियर के साथ-साथ विपणन प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लामाधारी हैं। वे एक स्वतंत्र व्यवसाय सलाहकार हैं, जिनके पास भारी इंजीनियरी, विद्युत, आधारभूत ढांचे, जल एवं परिवहन जैसे क्षेत्रों में निगमित नीति, परियोजना प्रबंध एवं विपणन का व्यापक अनुभव है। श्री दत्ता जीआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इंडिया सीमेंट लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल्स मैन्यूफैवचरिंग कंपनी लि.,नार्थ कर्नाटक एक्सप्रैसके लिमिटेड और मारमागांव स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडलों में भी स्वतंत्र निदेशक हैं।

(VI) डॉ. राम एस. तरनेजा (77 वर्ष)-डॉ. राम एस. तरनेजा ने ईपीआई के निदेशक मंडल में दिनांक 26.02.2006 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। डॉ. तरनेजा एशिया में व्यावसायिक प्रबंध आंदोलन में सक्रिया नेता हैं। आप बैनेट कोलमेन एंड कंपनी लिमिटेड (दि टाइम्स ऑफ इंडिया) से 1991 में प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और तब से उनके निदेशक मंडल के सदस्य बने हुए है। वह बैनेट कोलमेन एंड कंपनी लिमिटेड के अलावा 18 कंपनीयों (सार्वजनिक लिमिटेड, निजी लिमिटिड और धारा 25 की कंपनियों सहित) के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। वे संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित 2 संगठनों के निदेशक मंडल में शामिल हैं। यह संगठन कर्मचारी भविख़्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और राख़्ट्रीय कृख़ि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड (नाबार्ड) हैं। बैनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटिड में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व डॉ. तरनेजा कलकत्ता में कंपनियों के समूह के लगभग 10 वर्ष तक निदेशक (कार्मिक) रहे थे। कार्नेल विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद वे स्नातक व्यवसाय प्रशासन विभाग, ड्यूक्शन विश्वविद्यालय, पीट्सवर्ग, पी.ए., यू.एस.ए. के निदेशक थे। वे जिन कंपनियों के निदेशक मंडल में निदेशक हैं, उनकी अनेक उप समितियों के अध्यक्ष/सदस्य हैं।

(VII) श्री अंजन कुमार मित्रा (61 वर्ख़)-श्री अंजन कुमार मित्रा ने ईपीआई के निदेशक मंडल में 11 मई, 2007 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। श्री मित्रा भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान के सदस्य हैं और कानून में स्नातक हैं। वे सनदी लेखाकार फर्म "मित्रा एंड एसोसिएटर्स" के स्वामी हैं और युनाइटेड मोहन बागान फुटबाल टीम प्राईवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। श्री मित्रा को काराधान, बैंक लेखा परीक्षा और सरकारी लेखा परीक्षा के क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त है।

3. लेखा परीक्षा समिति

(i) लेखापरीक्षा समिति की संरचना

लेखापरीक्षा समिति दिनांक 17 जनवरी, 2008 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार दिशानिर्देशों में प्रस्तावित समिति से संबंधित विचारार्थ विख़यों के अनुरूप पुनर्गठित की गई थी। इसके पुर्नगठन के पश्चात् 22 फरवरी, 2008 को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया था। वर्ष 2007-08 के दौरान केवल यही बैठक आयोजित की गई थी। समिति की वर्तमान संरचना निम्नखलिखित हैः-

नाम एवं पदनाम	श्रेणी
डॉ. राम एस. तरनेजा, अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
श्री अंजन कुमार मित्राट, सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
श्री ए. के. रतवानी, सदस्य	निदेशक (परियोजनाएं)

(ii) लेखापरीक्षा समिति की भूमिका और शक्तियां

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों में वर्णित लेखा परीक्षा समिति की भूमिका और शक्तियां निदेशक मंडल द्वारा अपनाई गई थीं।

4. पारिश्रमिक समिति

कंपनी ने कंपनी के कर्मचारियों के लिए लाभों संबंधी प्रस्तावों की सिफारिश करने के लिए निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार एक पारिश्रमिक समिति भी गठित की है। समिति की वर्तमान संरचना निम्नलिखित हैं :-

नाम एवं पदनाम	श्रेणी
श्री अरूण दत्ता, अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
श्री राम एस. तरनोजा, सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
श्री जी.डी. मूरजानी, सदस्य	निदेशक (वित्त)

पारिश्रमिक समिति की दो बैठकें दिनांक 20 जून, 2007 और 21 जून, 2007 को आयोजित की गई थीं, जिनमें सभी सदस्यों ने भाग लिया था।

5. प्रकट की गई बातें

(i) प्रकार्यात्मक निदेशकों को पारिश्रमिक के भुगतान और स्वतंत्र निदेशकों को बैठकों को बैठक शुल्क के भुगतान का ब्यौरा निम्निलिखत है :-

(ए) प्रकार्यात्मक निदेशक

निदेशक	वेतन	अनुलाभ	जोड़
श्री सलीम हमीद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (21.12.2007 तक)	1726842	111555	1838397
श्री ए. के रतवानी, निदेशक (परियोजनाएं)	880398	101499	981897
श्री जी.डी. मूरजानी, निदेशक (वित्त)	901709	78905	98061

(बी) स्वतंत्र निदेशक

निदेशक	बैठक शुल्क
श्री अरूण दत्ता	14,000/- रुपए
डॉ. राम एस. तरनेजा	30,000/- रुपए
श्री अंजन कुमार मित्रा	28,000/- रुपए

(ii) वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के बारे में कोई लेन-देन नहीं हुआ। लेखापरीक्षा समिति ने दिनांक 22.2.2008 को आयोजित अपनी बैठक में श्री ए.के. रतवानी निदेशक (परियोजनाएं) को नामित किया है, जो कि संबंधित पार्टी लेन-देनों के पूर्व-अनुमोदन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(iii) सांविधिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ-साथ सांविधिक देयताओं की स्थिति निदेशक मंडल के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत की जा रही है ।

अयस्क प्रक्रिया संयत्र, यू.सी.आई.ई.एल. के लिए, झारखंड

(iv) यह पुनः पुष्टि की जाती है कि किसी भी सांविधिक निकाय द्वारा न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही कोई भर्त्सना की गई है।

(v) कंपनी लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है, सिवाय जोखिम प्रबंध नीति और विहसल ब्लोअर नीति को छोड़ कर, जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है और शीघ्र ही कार्यान्वित कर दी जाएंगी।

(vi) वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा कंपनी को जारी राष्ट्रपति निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

(vii) वर्ष के दौरान बहियों और खातों में कोई भी व्यय जमानामे नहीं डाला गया है, जोकि व्यवसाय व्यय के प्रयोजनार्थ नहीं है और निदेशक मंडल तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत किस्म के कोई भी व्यय नहीं किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष	वार्षिक महासभा की तारीख एवं समय	अवस्थिति
2006.07	21 सितम्बर, 2007 अपराह्न 3.30 बजे	कोर-3 स्कोप काम्पलैक्स लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
2005.06	29 सितम्बर, 2006 अपराह्न 3.30 बजे	कोर-3 स्कोप काम्पलैक्स लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
2004.05	30 सितम्बर, 2007 अपराह्न 3.30 बजे	कोर-3 स्कोप काम्पलैक्स लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अयस्क प्रक्रिया संयत्र, यू.सी.आई.ई.एल. के लिए, झारखंड

7. शेयरधारकों के साथ संप्रेक्ष्ण के साधन

कंपनी की चुकता शेयर पूंजी भारत सरकार और सात केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के द्वारा धारित है। कंपनी की चुकता पूंजी का 99.98% भारत सरकार द्वारा धारित है। कंपनी अपने शेयरधारकों की सूचनार्थ कंपनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सूचना के साथ-साथ संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट अपनी वेबसाईट पर दर्शाती है।

8. लेखापरीक्षा आपत्तियां

दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणीयां निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलंगनक के रूप में दी गई हैं।

9. निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण

कंपनी निदेशकों को निदेशक मंडल में कार्यभार ग्रहण करने पर दस्तावेजों और पुस्तिकाओं का एक सेट प्रदान करती है। इसमें कंपनी के कार्यनिष्पादन संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़े, संस्था ज्ञापन एवं संस्था अंतर्नियम तयं निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश इत्यादि शामिल होते हैं। प्रकार्यात्मक निदेशकों ने लोक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित निगमित सुशासन संबंधी सभा में भी भाग लिया।

10. आचार-संहिता

निदेशक मंडल ने बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए व्यवसाय संचालन और नैतिकता की संहिता निर्धारित की है। संहिता की प्रति कंपनी की वेबसाइट http//www.engienerigprojects.com पर भी दर्शाई गई है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और महत्वपूर्ण अधिकारियों ने संहिता के अपने अनुपालन की पुष्टि की है। इस संबंध में की गई घोषणा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

11. अनुपालन प्रमाण पत्र

इस रिपोर्ट में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का विधिवत अनुपालन किया गया है और दिशानिर्देशों के अनुबंध-vii में उल्लिखित सुझाई गई सभी मदों को शामिल किया गया है। लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित निगमित सुशासन संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय को नियमित रूप से भेजी जाती है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन के संबंध में सेवारत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण-पत्र भी निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा अनुपालन की गई आचरण संहिता के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई घोषणा नीचे दी गई है।

मैं, ए. के. रतवानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी के व्यवसाय आचारण की संहिता और नैतिकता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह./-

(ए. के. रतवानी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 21.07.2008

अजय गर्ग एंड एसोसिएटस
कंपनी सचिव

ऑफिस : 970, सैक्टर-21डी, फरीदाबाद
दूरभाष : 95129-4080970, 9811366723
ई-मेल : ajagrg24@airtelmail.in

निगमित सुशासन संबंधी प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लिमिटेड,
कोर-3, स्कोप काम्पलैक्स,
7, लोदी रोड़,
नई दिल्ली-110003

हमने भारत सरकार, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग की दिनांक 22.06.2007 की अधिसूचना सं. 18(8)/2007-सा.प्र. द्वारा "केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश 2007" में उल्लिखित के अनुसार 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लिमिटेड (जिसे इसमें इसके बाद 'कंपनी' कहा जाएगा) द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों और उनमें उल्लिखित अनुबंधों (जिसे इसमें इसके बाद 'दिशानिर्देश' कहा जाएगा) के अनुपालन की जांच की ली है।

निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित निगमित सुशासन शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई कार्यविधि और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही कंपनी के कार्यों को संचालित करने में प्रबंधन की प्रभावशीलता की कुशलता का आश्वासन है।

हस्ताक्षर
कृते अजय गर्ग एंड एसोसिएटस

(अजय गर्ग)
कंपनी सचिव
सी.पी. सं. 4373

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01 अगस्त, 2008

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

औद्योगिक ढांचा एवं विकास

11वीं योजना में हमारी अर्थव्यवस्था निर्णायक रूप से उच्चतर विकास के चरण में पहुंच चुकी है। वर्ष 2003-04 से हमारी अर्थव्यवथा 8% से अधिक की औसत विकास दर से आगे बढ़ रही है। हाल के वर्ख़ों में अर्थव्यवस्था के इस तीव्र विकास से ढांचागत बाधाओं को दूर करने का महत्व और आवश्यकता बढ़ गई है। सरकार ने कानूनी ढांचे में परिवर्तन करके निजी भागीदारों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं और सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण इत्यादि जैसे क्षेत्रों, जहां पर निजी भागीदार आगे नहीं आ रहे थे, वहां पर भारी मात्रा में निवेश किया है। ग्यारहवीं योजना (2007-2012) के दौरान बिजली, रेलवे, सड़कों, पत्तनों, हवाई-अड्डों, सिंचाई, शहरी एवं ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई के क्षेत्रों में 2002 हजार करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है। क्षेत्रवार अनुमानित हिस्सा इस प्रकार हैः बिजली में 30.4 प्रतिशत, सड़कों और पुलों में 15.4 प्रतिशत, दूरसंचार में 13.7 प्रतिशत और अन्यों में रेलवे में 12.4 प्रतिशत। इस प्रयोजनार्थ सरकार ने निजी भागीदारों के लिए अनेक ढांचागत क्षेत्रों में प्रवेश देने, विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमानित देने, आदर्श रियायत करार लागू करने, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जैसी नई परियोजना आरंभ करने और अन्यों में राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम जैसे अनेक पूर्व-सक्रियता उपाय आरंभ किए हैं :

* सरकार बारहवीं (2012-17) और तेरहवीं (2017-22) योजनाओं के दौरान 40,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता की योजना बनी रही है।
* लगभग 70,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता।
* मुंबई-दिल्ली और लुधियाना-कोलकाता के बीच नियत माल ढुलाई गलियारे का निर्माण।
* महापत्तनों में 485 मिलियन मी. टन, लघु-पत्तनों में 345 मिलियन मी. टन. की क्षमता की वृद्धि।
* 21 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और पुनः विकास।
* बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के माध्यम से 16 मिलियन हेक्टेयर भूमि का विकास।
* 4 महानगर और 35 गैर-महानगर हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण और पुनः विकास।
* स्वर्ण चतुर्भुज और चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों के 6500 कि.मी. की लंबाई को छः लेन का बनाना।
* 1,65,244 कि.मी.नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण और 78,304 ग्रामीण पुरवों को शामिल करते हुए 1,92,464 कि. मी. लंबी मौजूदा सड़कों का नवीकरण और उन्नयन।

इसके अलावा, सरकार ने ग्यारहवीं योजना के अंत तक बुनियादी ढांचे में निवेश को धीरे-धीरे सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 9 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। बुनियादी ढांचे की बढ़ती हुई आवश्यकता ने निर्माण उद्योग के विकास के बड़े अवसर प्रदान किए हैं। इस उद्योग के भागीदारों को आशयित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभानी है। आशयित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए उद्योग को मजबूत बनाने और उद्योग की कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है।

निर्माण उद्योग देश के बुनियादी ढांचे का एक अभिन्न अंग है। इसमें अस्पताल, विद्यालय, टाऊनशिप, कार्यालय, मकान और अन्य भवन तथा शहरी ढांचा (जल-आपूर्ति, सीवर, हवाई अड्डे, जल-निकासी सहित), राजमार्ग, सड़कें, पत्तन, विद्युत प्रणाली, सिंचाई एवं कृषि प्रणाली और दूरसंचार इत्यादि शामिल हैं। यह उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करता है और अन्य पिछड़े क्षेत्रों तथा अग्रमी संपर्कों के लिए विकास की प्रेरणा प्रदान करता है। उद्योग का भवन निर्माण सामग्री उद्योग के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंक यह निर्माण लागत का 50-60% हिस्सा है। इनमें सीमेंट, इस्पात, इंटे, जुड़नार, फिटिंग्स, रंग-रोगन, रसायन, निर्माण उपकरण, पेट्रोल उत्पाद, इमारती लकड़ी, खनिज उत्पादन, एल्यूमीनियम, शीशा और प्लास्टिक इत्यादि शामिल हैं।

क्षमताएं और कमियां

ईपीआई एक एकीकृत इंजीनियरी परियोजना प्रबंध एवं निर्माण कंपनी है, जिसके पास अनेक प्रकार की परियोजनाओं का कार्य संभालने का व्यापक अनुभव है। अपने प्रचालन के 37 वर्ख़ के दौरान ईपीआई ने भारत और विदेशों में सिविल संरचनाओं, सामग्री प्रहस्तन, धातुकर्मीय परियोजनाओं, प्रसंस्करण संयंत्रों, पर्यावरण एवं प्रदूख़ण नियंत्रण, सिचांई, खेल-कूद, सिंचाई परियोजनाओं, पारेख़ण लाइनों, उप-केन्द्रों इत्यादि के क्षेत्रों में विविध प्रकार की परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

प्रचालन के 37 वर्ष की अवधि के दौरान स्थापित इसका विश्वास, अनुभवी एवं व्यावसायिक कर्मचारीगण, अनुकूल कार्य वातावरण और गुणात्मक कार्यानिष्पादन ईपीआई की क्षमताएं हैं।

अवसर और चुनौतियां

बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास में रुचि की उत्पत्ति और औद्योगिक विकास की उच्च विकास दर ने उद्योग के सभी भागीदारों के लिए काफी अवसर प्रदान किए हैं। ईपीआई इन अवसरों को कंपनी के सफल विकास की कहानी में परिवर्तित करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। तथापि, गला काट प्रतिस्पर्धा के कारण कम मार्जिन और उद्योग में कुशल मानवशक्ति की कमी को कंपनी के प्रबंधन द्वारा चुनौतियों के रूप में माना जा रहा है।

खंडवार और उत्पादवार कार्यनिष्पादन

आवास एवं भवन निर्माण कार्य कंपनी के कुल कारोबार का सर्वाधिक बड़ा हिस्सा बने हुए हैं। वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान कुल करोबार में इसका योगदान 33% से बढ़कर 44% हो गया है, जिसके बाद बांध एवं सिंचाई परियोजना का योगदान 9% से बढ़कर 25% हो गया है, औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र और सामग्री प्रहस्तन एवं विद्युत परियोजनाओं का प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2005-06 के 30% से घटकर वर्ष 2007-08 में 8% रह गया है। नीचे दी गई तालिका में कंपनी के प्रचालनों का खंडवार विश्लेषण दर्शाया गया है:-

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	परियोजानाओं	2005.06		2006.07		2007.08	
		कारोबार	प्रतिशत	कारोबार	प्रतिशत	कारोबार	प्रतिशत
1	आवास एवं भवन निर्माण कार्य	209.99	33	228.45	30	372.41	44
2	बांध एवं सिंचाई परियोजनाएं	55.51	9	182.64	24	215.73	25
3	औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र, सामग्री रख-रखाव एवं विद्युत परियोजनाएं	190.88	30	126.10	16	65.14	8
4	जल-आपूर्ति एवं पर्यावरणीय योजनाएं	48.68	8	84.57	11	100.45	12
5	परिवहन संरचनाएं	111.95	18	126.41	17	84.40	10
6	अन्य परियोजनाएं	20.36	3	15.43	2	12.92	2
	जोड़	637.37	100	763.60	100	851.05	100

दृष्टिकोण

कंपनी का विश्वास है कि इस अनुकूल आर्थिक परिवेश में कंपनी वर्ष-प्रतिवर्ष नई ऊंचाइयों को छुते हुए उच्च विकास के मंच पर बने रहना जारी रखेगी। अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए कंपनी वर्तमान परिदृश्य में अपनी क्षमताओं और कमियों का पुनर्मूल्यांकन कर रही है और एक दीर्घावधिक व्यवसाय योजना बना रही है, जिससे कंपनी अपने को रणनीतिक तौर पर स्थापित करने और अपने विकास के नए क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम हो सकेगी।

जोखिम और चिंताएं

ईपीआई द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे अधिकतर ठेके या तो नियत मूल्य वाली परियोजनाएं हैं अथवा मूल्य सूचकांक आधारित वृद्धिकारी लागत वाली परियोजनाएं है। हाल ही में निविष्टियों अर्थात इस्पात, सीमेंट इत्यादि के मूल्यों में तीव्र वृद्धि के कारण परियोजनाओं की लाभकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए कंपनी ने इस्पात, सीमेंट इत्यादि के मूल्यों में असमान्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति करने के लिए यह मामला विभिन्न ग्राहकों के साथ उठाया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने कंपनी के आकार के अनुरूप एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित की है। आंतरिक नियंत्रण को अधिक प्रभावी एवं परियोजना सापेक्ष बनाने के लिए एक व्यापक आंतरिक लेखापरीक्षा संहिता और अन्य लेखा संहिताओं को अद्यतन किया जा रहा है। कंपनी ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों हेतु निगमित सुशासन पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है। आंतिरक लेखापरीक्षा कक्ष सीधे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अधीन कार्य करता है। लेखापरीक्षा समिति द्वारा आंतरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा प्रणालियों की आवधिक समीक्षा की जाती है, तथा निरंतर सुधार के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

प्रचालनात्मक कार्यनिष्पादन के संदर्भ में वित्तीय कार्यनिष्पादन पर परिचर्चा

कंपनी के कुल कारोबार में गत वर्ष की तुलना में 11.45% की वृद्धि हुई, जो 763.60 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 851.06 करोड़ रुपए हो गया और सकल मार्जिन में 7.06% की वृद्धि हुई, जो 22.13 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 23.69 करोड़ रुपए हो गया। निवल कर-पूर्व लाभ भी 14.75% की वृद्धि दर्ज करते हुए गत वर्ष के 17.55 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 20.14 करोड़ रुपए हो गया। परिणामतः, कंपनी की निवल परिसंपत्ति वर्ष 2006-07 में 103.99 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 107.78 करोड़ रुपए हो गई है।

कंपनी की पूंजीगत संरचना 35.4 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी पर अपरिवर्तित बनी रही जोकि वर्ष के दौरान 38.50 रुपए प्रत्येक के 90,94,400 इक्विटी शेयर में विभाजित है। कंपनी ने जनवरी, 2008 में कंपनी की चुकता पूंजी पर 10% का अंतरिम लाभांश घोषित किया था और अब आपके निदेशक मंडल ने चुकता पूंजी के 10% का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जिससे भुगतान किया जाने वाला कुल लाभांश चुकता पूंजी का 20% हो गया है। प्रदत्त लाभांश का अनुपात 40% है जोकि सरकारी क्षेत्र में इसके समकक्ष समूह की कंपनियों में उच्चतम है।

नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण घटनाएं

कर्मचारी उत्पादकता कंपनी के विशेष ध्यान देने का केन्द्र रहा है। कर्मचारी उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनेक उपाय आरंभ किए गए हैं। कंपनी के कर्मचारियों की कुशलता का उन्नयन करने के लिए तकनीकी, प्रबंधकीय और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाने के अलावा, कंपनी ने अपने कार्य बल को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2007-08 से आंतरिक एमओयू श्रेणी के आधार पर उत्पादकता संबंध प्रोत्साहन योजना लागू की है। उपर्युक्त प्रयासों के फलस्वरूप कंपनी की प्रति कर्मचारी उत्पादकता वर्ष 2002-03 में 71.59 लाख रुपए से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 170.55 लाख रुपए हो गई है।

वर्ष के दौरान कंपनी में कर्मचारियों के संबंध सौहार्दपूर्ण एवं सद्भावपूर्ण बने रहे।

पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संरक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

(क) पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संरक्षण

परियोजनाओं और सुविधाओं के निर्माण से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु कंपनी की व्यवसाय नीति के निर्माण में उचित ध्यान दिया गया है। इस विषय का कंपनी के कार्यकलापों को एक अभिन्न हिस्सा बनाते हुए पर्यावरण प्रबंधी प्रणाली को अपनाकर विशेष समाधान किया गया है और पद्धतियों की संहिता में आवश्यक उपाय शामिल किए गए हैं।

प्रक्रियागत आपेक्षाओं के सुरक्षा कवच के अनुपालन में विभिन्न कार्यस्थलों पर किए गए विशेष उपाय निम्नलिखित हैं-

1. औद्योगिक संयंत्रों, संरचनाओं के खाके का पुनः विन्यास और संशोधन।
2. पारिस्थितिकी प्रणाली और वनस्पति वाले क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले पेड़ों/पौधों को काटने से बचना।
3. विभिन्न परियोजना स्थलों पर पेड़ लगाना।
4. जहरीली गैसों के उत्सर्जन, तेलों, स्नेहकों, रसायनों को फैलने से रोकने के दृष्टिगत नियंत्रण और प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों, परियोजना स्थलों पर प्रयोग किए जाने वाले औद्योगिक संयंत्रों के उपस्करों, मशीनों और वाहनों के प्रचालन से होने वाले अन्य प्रदूषणों को नियंत्रित करना।
5. अग्नि रोधक प्रणालियां अपनाना और अग्नि-शमन ड्रिल का अभ्यास करना।
6. अवस्थिति सापेक्ष आपातकालीन तैयारी और प्रत्युत्तर योजना परिचालित की गई है तथा क्षेत्रक कार्य में संलग्न सभी कार्मिकों को सूचित कर दी गई है और स्थल कार्यालयों, नोटिस बोर्डों पर प्रदर्शित कर दी गई है।

(ख) प्रौद्योगिकीय संरक्षण

निर्माणधीन परियोजनाओं की तकनीकी आवश्यकताओं का प्रौद्योगिकी के अपेक्षित स्तर के साथ संयोजित पर्यावरणीय चिंताओं और प्रक्रिया आंकड़ों पर आधारित डिजाइन तैयार करके पालन किया जाता है। प्रक्रियाओं और उपस्करों के तदनुरूपी विनिर्देशनों का सर्वोत्तम उपलब्ध कारीगरों की सहायता से संयंत्र स्थापित करने में पालन किया जाता है। परियोजना की वांछित सुपुर्दगी के लिए नवीनतम मानकों के अनुसार विनिर्दिष्ट निरीक्षण एवं परीक्षण प्रकियाओं का पालन किया जाता है।

चालू वर्ख़ के दौरान कंपनी द्वारा बड़े भूमिगत व्यास की आरसीसी पाइपलाइनें बिछाने के लिए सूक्षम सुरंग वाली आधुनिक प्रौद्योगिकीय पद्धति अपनाई गई है।

भविख़्य में कंपनी द्वारा संदर्भ और अनुप्रयोगों में उपयोग हेतु अपेक्षित विभिन्न परियोजनाओं के प्रौद्योगिकीय दस्तावेज केंद्रीकृत अवस्थितियों में सुरक्षित रखे गए हैं।

(ग) नवीकरणीय ऊर्जा विकास

कंपनी ने परियोजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग वाली नई प्रौद्योगिकियां आत्मसात करने हेतु एक दीर्घावधिक नीति तैयार की है। सौर-ऊर्जा, पवन ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा के भविष्य में उद्योगों में व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों के विकास में सहायक होने की आशा है। कंपनी का इस दिशा में अपनी क्षमताओं का उपयोग अनुकूल बनाने का लक्ष्य है।

(घ) विदेशी मुद्रा संरक्षण

कंपनी के दृष्टिकोण ने भारत में उत्पादन और प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना में विकासशील प्रौद्योगिकियों के उपयोग को सुगम बनाया है। ऐसे अनेक संयंत्रों हेतु भारतीय स्थितियों में विदेश आधारित प्रौद्योगिकीय डिजाइनों को अपनाने के बाद देशीय स्रोतों से मशीनरी, उपस्कर एवं सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इससे संयंत्रों एवं उपस्कारों का सीधा आयात न्यूनतम हो जाता है, सामान्यतया मदें/सामग्री स्वामित्व की सीमा तक न्यूनतम सीमित हो जाती हैं। विदेशी मुद्रा का महत्वपूर्ण संरक्षण विदेशों में विकसित नए प्रौद्योगिकी विकास के आधार पर विस्तृत इंजीनियरी, विनिर्माण और सुविधाओं के संयोजन में भारतीय विशेषज्ञता का प्रयोग करते हुए अग्रिम डिजाइन और तकनीकी विशेषताओं को आत्मसात करने के माध्यम से सभंव हो सका है।

गैस कलैक्टिंग स्टेशन, कोविकलप्पा, तमिलनाडु

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

ईपीआई अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझता है और समाज में प्रभावी तरीके से योगदान करने के प्रयास करता है। कंपनी के प्रयासों में सामुदायिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में कार्यकलाप शामिल हैं। कंपनी परियोजना स्थलों में कार्यरत अकुशल कर्मचारियों के लिए कल्याण कार्यकलापों का आयोजन करती है और निर्माण कार्यों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए परियोजना क्षेत्र में और उसके आस-पास पेड़ लगाती है।

चेतावनी वक्तव्य

इस प्रबंध परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के उद्देश्यों, पूर्वानुमानों और अपेक्षाओं को दर्शाने वाले विवरण लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ के अंतर्गत"उत्साहवर्धक वक्तव्यं" हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त अथवा अंतर्निहित से काफी अधिक या महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में ढांचागत क्षेत्र में गिरावट, भारत में राजनीतिक एवं आर्थिक परिवेश में महत्वपूर्ण परिवर्तन, विनिमय दर में घट-बढ़, कर, कानून, मुकद्दमें और श्रमिक संबंध शामिल हैं।

निदेशकों की रिपोर्ट का संलग्नक

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी के उत्तर

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट/टिप्पणियां	कंपनी का उत्तर

जे.पी. कपूर एवं उबरॉय
सनदी लेखाकार

1. हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी) के दिनांक 31 मार्च, 2008 के अनुसार संलग्न तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, दोनों संलग्न, के साथ लेखा के अभिन्न हिस्से के रूप में अनुसूचियों, जिनमें भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा किए गए पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा शामिल है, की लेखापरीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन के उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित और निष्पादित करें कि जिससे यह यथोचित रूप से सुनिश्चित हो कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर वित्तीय विवरण में दर्शाई गई राशियों और प्रकटीकरण पर आधारित साक्ष्य की जांच-पड़ताल सम्मिलित होती है। लेखापरीक्षा में यह भी सम्मिलित होता है कि वह प्रयोग में लाए गए लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए विशेष अनुमानों का भी मूल्यांकन करे और साथ ही समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करे। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे विचारों के लिए यथोचित आधार प्रदान करती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(4ए) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 में यथा अपेक्षित जांचों के आधार पर, जैसा हमने उपयुक्त समझा है, हम उल्लिखित आदेश के पैराग्राफों 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषयों पर अनुबंध में एक विवरण संलग्न कर रहे हैं।

4. उपर्युक्त अनुच्छेद (3) में संदर्भित अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के अलावा हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

(क)	हमने वे सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।	कोई टिप्पणी नहीं
(ख)	हमारे विचार से, जहां तक पुस्तकों की हमारी जांच-पड़ताल से दृष्टिगत होता है, कानून की अपेक्षानुसार कंपनी ने उपयुक्त लेखा पुस्तकें रखी हैं और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे द्वारा लेखापरीक्षा न की गई शाखा से उपयुक्त विवरण प्राप्त हो गए हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(ग)	उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में उल्लिखित शाखा लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा किए गए पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी शाखा कार्यालयों के खातों से संबंधित रिपोर्ट हमें अग्रेषित कर दी गई है और हमने यह रिपोर्ट तैयार करते समय उस पर उचित कार्रवाई की है।	कोई टिप्पणी नहीं
(घ)	इस रिपोर्ट के साथ व्यवहृत तुलनपत्र एवं लाभ व हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों और लेखापरीक्षिक शाखा विवरणों के अनुरूप हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(ङ)	हमारे विचार से तुलनपत्र, लाभ व हानि लेखा और नकदी प्रवाह के संबंध में इस रिपोर्ट में कार्रवाई की गई है, जिनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3ग) में उल्लिखित अनिवार्य लेखा मानकों का पालन किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं

(च) कंपनी कार्य विभाग के दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 के स्पष्टीकरण संख्या जीएसआर 829(ई) के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(छ) से छूट प्राप्त है। — कोई टिप्पणी नहीं

(छ) आंतरिक निर्माणकार्य और सज्जा आदि की लागत से संबंधित एक सरकारी क्षेत्रक उपक्रम के रु. 46,05,400/- के पूजीगत दावे का निपटान नहीं किया गया है और उसके परिणामत: मूल्यह्रास को लेखों में हिसाब में नही लिया गया है। हम राजस्व, परिसंपत्तियों और देयताओं पर पड़ने वाले परिणामी प्रभाव पर मत व्यक्त करने में असमर्थ हैं (संदर्भ अनुसूची-17 की टिप्पणी संख्या ब-2)। — अनुसूची-17 की टिप्पणी ब-2 में प्रदर्शित।

(ज) उपर्युक्त पैरा 3 और पैरा 4 (छ) में उल्लिखित अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के अलावा हम निम्नलिखित के कारण कार्यों/लाभकारिता की स्थिति पर प्रभाव को सुनिश्चित करने और सूचित करने में असमर्थ हैं :- — अनुसूची-17 की टिप्पणी ब-3(ग) में प्रदर्शित।

(झ) विभिन्न ग्राहकों, सहायकों और आपूर्तिकारों के साथ खातों के समाधान और अंतिम निपटान के कारण उत्पन्न होने वाले समायोजन (संदर्भ : अनुसूची-17 की टिप्पणी संख्या ब-3(ग)। — अनुसूची-17 की टिप्पणी ब-3 (घ) में प्रदर्शित।

(ञ) ग्राहकों द्वारा जारी और सहायकों को आपूर्ति की गई निःशुल्क सामग्रियों के समाधान और अंतिम निपटान के कारण उत्पन्न होने वाले समायोजन (संदर्भ : अनुसूची-17 की टिप्पणी संख्या ब-3(घ)। — अनुसूची-17 की टिप्पणी ब-4 में प्रदर्शित।

(ट) दुबई लैगून परियोजना के वित्तीय रिकार्डों और विवरणों तथा परिणामी घाटा, यदि कोई है, की जांच न करना जिसे प्रबंधन द्वारा प्रमाणन के आधार पर शामिल किया गया है (संदर्भ : अनूसूची-17 की टिप्पणी संख्या ब-4)

5 हमारे विचार में हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इसमें दी गई उक्त टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा-नीति और उस पर उपयुक्त पैरा (छ) तथा (ज) पर लेखा टिप्पणियों (अनुसूची-17) के साथ पठित की शर्त पर कथित खाते कंपनी अधिनियम, 1956 के द्वारा अपेक्षित सूचना को प्रस्तुत करते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही व उचित दृष्टिकोण देते हैं :

(क) 31 मार्च, 2008 के अनुसार तुलनपत्र के मामले में कंपनी की कार्यस्थिति के संबंध में,

(ख) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ के, लाभ व हानि खाते के मामले में ; और

(ग) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के संबंध में नकदी प्रवाह विवरण के मामले में।

कृते जे.पी. कपूर एवं उबरॉय
सनदी लेखाकार

ह0/-
(विनय जैन)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 95187

कृते इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स(इंडिया)लिमिटेड

ह0/-
(ए.के. रतवानी)
अध्यक्ष एवं निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06 अगस्त, 2008

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित)

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट/टिप्पणियां	कंपनी का उत्तर
(i) (क) कंपनी के कतिपय स्थानों को छोड़कर अचल आस्तियों के रिकार्डों के परिणामस्वरूप ब्यौरों और स्थिति सहित यथेष्ठ रखरखाव किया है और कंपनी उल्लेख करती है कि यह रिकार्डों का संकलन करने की प्रक्रिया में है। स्कोप काम्पलेक्स, नई दिल्ली के संबंध में हस्तांतरण औपचारिकताएं (हक विलेखों का निष्पादन) पूरी नहीं की गई हैं, किन्तु वे परिसंपत्तियों में सम्मिलित हैं।	अनुसूची 17 की टिप्पणी ब-7 (क) में उल्लेख किया गया है कि स्कोप काम्पलेक्स, नई दिल्ली भवन के संबंध में हक विलेख कंपनी के नाम में निष्पादन के लिए रूके हुए हैं। अचल परिसंपत्तियों के रिकार्ड को अद्यतन करने के लिए आगे कार्रवाई की जा रही है।
(ख) जैसाकि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, प्रबंधन द्वारा परिसंपत्तियों की चरणबद्ध तरीके से आवधिक सत्यापन के नियमित कार्यक्रम के अनुसार वास्तविक जांच की गई है, जो कि हमारे विचार में कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों के स्वरूप को देखते हुए तर्कसंगत है। ऐसे सत्यापन के समय कोई गंभीर विसंगति नहीं पाई गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ग) वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा बेची गई नियत परिसंपत्तियां इतनी अधिक नहीं थी, जिनके बेचने से कार्यरत संस्था पर कोई प्रभाव पड़ा हो।	कोई टिप्पणी नहीं
(ii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन ने मालसूची का वास्तविक सत्यापन किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ख) हमारे विचार से और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा मालसूची के वास्तविक सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाएं कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के संदर्भ में तर्कसंगत और पर्याप्त हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(ग) कंपनी ने सामान्यतः मालसूची के रिकार्डों को उचित रूप में बनाए रखा है। हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, बहियों के रिकार्डों के साथ मालसूची के वास्तविक सत्यापन के दौरान देखी गई विसंगतियां कोई महत्वपूर्ण नहीं थी और लेखाबहियों में इन पर उचित कार्रवाई की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
(iii) (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर के अंतर्गत शामिल किसी कंपनी, फर्म अथवा अन्य पार्टी को कोई रक्षित अथवा अरक्षित ऋण प्रदान नहीं किए हैं। इसलिए, उक्त आदेश का खंड 4(iii) (ख) से (घ) कंपनी पर लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर के अंतर्गत शामिल किसी कंपनी, फर्म अथवा अन्य पार्टी से	

कोई रक्षित अथवा अरक्षित ऋण प्राप्त नहीं किए हैं। इसलिए, उक्त आदेश का खंड 4(iii) (ङ) से (छ) कंपनी पर लागू नहीं है।	
(iv) हमारे विचार से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार माल तथा अचल परिसंपत्तियों की खरीद और वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री के संबंध में अपनाई गई आंतरिक नियंत्रण प्रकियाओं का सामान्यतः कंपनी के आकार और व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पालन किया जाता है। हमारे द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में बड़ी कमियों को ठीक करने के लिए कोई लगातार असफलता नहीं देखी गई है। तथापि, कंपनी के आकार और व्यापार की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों को और अधिक सुगठित किए जाने की आवश्यकता है।	नोट किया गया
(v) हमारे द्वारा अपनाई गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टरों में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया गया है। इसलिए, आदेश का खंड 4(v)(ख) कंपनी पर लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
(vi) हमारे द्वारा अपनाई गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऐसी कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की हैं, जिनपर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क और 58कक तथा कंपनी (जमा स्वीकार करना) नियमावली, 1975 के प्रावधान लागू होते हों।	कोई टिप्पणी नहीं
(vii) कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, जोकि सामान्यतया कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप है।	कोई टिप्पणी नहीं
(viii) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्र सरकार ने कंपनी के किसी उत्पाद के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अधीन लागत अभिलेखों के अनुरक्षण का निर्धारण नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ix)(क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और अन्य सांविधिक देयताओं की अविवादित राशि उपयुक्त प्राधिकारियों के पास वर्ष के दौरान सामान्यतः जमा की गई है और 31 मार्च, 2008 के अनुसार छह महीने से अधिक की अवधि के लिए, उनके देय होने की तारीख से कोई भी विवादित देय राशि बकाया नहीं थी। तथापि, सहयोगियों के कारण आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन स्रोत पर कर कटौती के उपबंधों का पालन न किए जाने तथा सेवा कर, भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा से संबंधित किसी देयता, यदि कोई है, के संबंध में हम अपना मत व्यक्त	क्षेत्रीय कार्यालयों/स्थल कार्यालयों को कठोरता से यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गया है कि सहयोगी सांविधिक देयताओं अर्थात भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा इत्यादि के भुगतान के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें और आयकर अधिनियम/विभिन्न राज्यों के बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती तथा उसे जमा करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, सहयोगियों के सेवा कर, विक्रय कर, भविष्य निधि और ईएसआई तथा खातों के संबंध में सहयोगियों को संबंधित

करने में असमर्थ है, क्योंकि परस्पर सत्यापन और विभिन्न राज्यों के बिक्री कर अधिनियम के कारण नियंत्रण की कमी है। हमें सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, उपकर और निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

प्राधिकरण में पंजीकृत होना चाहिए अन्यथा वह अनुपालन न किए जाने के लिए जिम्मेदार

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जांच किए गए कंपनी के रिकार्डों के अनुसार, निम्नलिखित को छोड़कर 31 मार्च, 2007 के अनुसार, आयकर, सीमाशुल्क, धनकर, उत्पाद शुल्क और उपकर संबंधी जैसी कोई देयताएं नहीं हैं, जो किसी विवाद के कारण जमा न करवाई गई हों :-

अनुसूची-17 की टिप्पणी संख्या ब-1(क) में उल्लेख किया गया है। शीघ्र समाधान हेतु उपयुक्त स्तर पर मामलों पर कार्रवाई की जा रही है।

क्रम. सं.	विधान का नाम	देयताओं का स्वरूप	राशि (रुपए)	जिस अवधि से राशि संबंधित है	स्थान/पदाधिकारी जहां विवाद लंबित है
1.	व्यापार कर अधिकारी	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	84,09,506	1975.76, 76.77 - 77.78	इलाहाबाद उच्च न्यायालय
2.	बिक्री कर	दंड अधिकारी दिल्ली	40,000	1990.91	सहायक आयुक्त बिक्री कर
3.	बिक्री कर अधिकारी दिल्ली	सीएसटी	97,45,379	1995-96, 97.98 - 98.99	अपर आयुक्त बिक्री कर
4.	कर्नाटक बिक्री कर	वैट	17,77,891	31.12.94 से 31.3.95 तिमाही	बिक्री कर ट्रिब्यूनल
5.	वाणिज्यिक कर अधिकारी आन्ध्र प्रदेश	एपीजीएसटी	10,54,753	1986-87	उपायुक्त वाणिज्यिक कर
6.	व्यापार कर अधिकारी	उत्तर प्रदेश व्रापार कर एपीजीएसटी	8,72,500	1993-94	बिक्री कर ट्रिब्यूनल
7.	वाणिज्यिक कर अधिकारी आन्ध्र प्रदेश	एपीजीएसटी	14,14,227	1996-97	उपायुक्त वाणिज्यिक कर
8.	वाणिज्यिक कर अधिकारी तमिलनाडु	टीनजीएसटी	1,01,96,988	1998-99	बिक्री कर ट्रिब्यूनल
9.	वाणिज्यिक कर अधिकारी जयपोर	उड़ीसा बिक्री कर अधिकारी	17,501	1997-98	
10.	वाणिज्यिक कर उपायुक्त कर्नाटक	बिक्री कर मांग	18,45,658	1986-87	सहायक आयुक्त बिक्री कर कटक
11.	वाणिज्यिक कर उपायुक्त कर्नाटक	बिक्री कर मांग	59,13,918	1987-88	सहायक आयुक्त बिक्री कर, कटक
12.	आन्ध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर	बिक्री कर मांग	70,167	1989-90	उपायुक्त वाणिज्यिक कर काकीनाड़ा

क्रम. सं.	विधान का नाम	देयताओं का स्वरूप	राशि (रुपए)	जिस अवधि से राशि संबंधित है	स्थान/पदाधिकारी जहां विवाद लंबित है
13.	आन्ध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर	बिक्री कर मांग	1,31,630	1990-91	उपायुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर काकीनाडा
14.	आन्ध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर	बिक्री कर मांग	2,29,053	1992-93	वाणिज्यिक कर अधिकारी गाजुबाका, विशाखापट्टनम
15.	उड़ीसा बिक्री कर	बिक्री कर मांग	1,31,786	1996-97	सहायक आयुक्त बिक्री कर सुन्दरगढ़ रेज राउरकेला
16.	उड़ीसा बिक्री कर	बिक्री कर मांग	3,22,913	1997-98	सहायक आयुक्त बिक्री कर सुन्द्रगढ़ रोंज, राउरकेला
17.	वाणिज्यिक कर उपायुक्त, कर्नाटक	अतिरिक्त मांग	35,53,779	2002-03	सहायक अपील अधिकारी
		जोड़	4,57,27,649		

(x) वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी का कोई संचित घाटा नहीं है। वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई नकदी घाटा नहीं उठाया है। — कोई टिप्पणी नहीं

(xi) हमारे विचार से और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी बैंकों की देयताओं की वापसी अदायगी की चूककर्ता नहीं है। वर्ष के दौरान कंपनी पर वित्तीय संस्थाओं या डिबेंचर धारकों की कोई देयताएं बकाया नहीं थीं। — कोई टिप्पणी नहीं

(xii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को रेहन रख कर प्रतिभूति के आधार पर किन्हीं ऋणों और अग्रिमों की गारंटी नहीं दी है। — कोई टिप्पणी नहीं

(xiii) कंपनी चिट/निधि/परस्पर लाभकारी फंड/समिति नहीं है। इसलिए उक्त आदेश का खंड 4(xiii)(क) से (घ) कंपनी पर लागू नहीं है। — कोई टिप्पणी नहीं

(xiv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों में नियत निक्षेपों के अलावा, किन्हीं शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों में व्यापार/कार्य नहीं किया है। हमारे विचार से और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार नियत निक्षेपों में निवेशों से संबंधित रिकार्ड उचित रूप से रखे गए हैं और ऐसे नियत निक्षेप कंपनी द्वारा अपने नाम में रखे गए हैं। — कोई टिप्पणी नहीं

(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से अन्यों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। — कोई टिप्पणी नहीं

(xvi)	कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सांवधिक ऋण नहीं जुटाया है। इसलिए, आदेश का खंड 4(xvii) कंपनी पर लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xvii)	हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के तुलनपत्र की समग्र जांच के आधार पर हम सूचित करते हैं कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का दीर्घावधि निवेश के लिए उपयोग नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xviii)	कंपनी ने कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज पार्टियों और कंपनियों को शेयरों का कोई वरीयता आवंटन नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xix)	कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xx)	कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम से कोई धन एकत्र नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xxi)	अपनाई गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर हम सूचित करते हैं कि हमारे द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा कोई धोखेबाजी नहीं देखी गई है अथवा न ही सूचित की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं

कृते जे.पी. कपूर एवं उबरॉय
सनदी लेखाकार

ह0/-
(विनय जैन)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 95187

कृते इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स(इंडिया)लिमिटेड

ह0/-
(ए.के रतवानी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06 अगस्त, 2008

तुलन-पत्र 31 मार्च, 2008

	अनुसूची सं.	31.03.2008 की स्थिति रुपए	रुपए	31.03.2007 की स्थिति रुपए	रुपए
निधि स्रोत					
शेयरधारकों की निधि					
शेयर पूंजी	1		354226880		354226880
आरक्षित व अधिशेष	2		723582498		685667871
जोड़			1077809378		1039894751
निधि प्रयोज्यता					
अचल आस्तियां :					
सकल ब्लॉक		159386817		164998958	
घटाइए : इस तारीख तक का मूल्यह्रास		109188187		115351243	
निवल ब्लॉक	3		50198630		49647715
चालू आस्तियां, ऋण व अग्रिम :					
निर्माणाधीन कार्य	4	19487905572		16358823477	
वस्तु सूचियां	5	12710127		17122719	
विविधि देनदार	6	1210654941		1128231704	
नकदी और बैंक शेख	7	1595352934		1157979394	
अन्य चालू आस्तियां	8	14398412		29896379	
ऋण व अग्रिम	9	5811174743		2913243716	
		28132196729		21605297389	
घटाइए : चालू देयताएं व प्रावधान	10	27104585981		20615050353	
निवल चालू आस्तियां			1027610748		990247036
जोड़ :			1077809378		1039894751
लेखा नीतियां और लेखा पर टिप्पणियां	17				

अनुसूची 1 से 17 लेखाओं का अभिन्न अंग है।

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

ह./-
(कुमुदनी शर्मा, उप-कंपनी सचिव)

ह./-
(जी.डी. सूरजानी), निदेशक (वित्त)

ह./-
(ए.के. रतवानी), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.पी. कपूर एवं उबरॉय, सनदी लेखाकार

सीान : नई दिल्ली
दिनांक : 6, अगस्त, 2008

ह./-
(विनय जैन), साझेदार-सदस्यता संख्या 95187

लाभ व हानि लेखा 31.03.2008 को समाप्त वर्ष हेतु

	अनुसूची संख्या		2007-2008 (रुपए)		2006-2007 (रुपए)
आय :					
वर्ष मे किया गया कार्य			8510200942		7632590540
प्राप्त दावे			4865268		35251928
विनिमय दर में घटबढ़			2522141		—
अन्य आय	11		41869342		69583488
ब्याज	12		164147080		105215266
जोड़ :			8723604773		7842641222
व्यय :					
प्रत्यक्ष व्यय	13		8035752017		7169742346
भुगतान किए गए दावे			22072656		30230099
प्रशासनिक व्यय	14		405144655		381419442
ब्याज	15		26390003		36399286
मूल्यह्रास			9156963		9379320
संविदा आकस्मिकताएं			40914		6333814
जोड़			8498557208		7633504307
वर्ष में लाभ :			225047565		209136915
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	16		-23685309		-33628506
कर-पूर्व लाभ			201362256		175508409
घटाए : कर हेतु प्रावधान			22160855		18975307
घटाएं : अनुखंगी लाभ कर हेतु प्रावधान			3882510		3565953
कर-पश्च निवल लाभ			175318891		152967149
गत वर्ष से आगे लाया गया शेष			656457851		599272141
घटाइए : 01.04.2007 के अनुसार कर्मचारी लाभों के लिए समायोजन (कृपया टिप्पणी 11 देखें)		52932329	603525522	—	599272141
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ			778844413		752239290
विनियोजन					
अंतरिम लाभांश			35422688		17711343
प्रस्तावित अंतिम लाभांश			35422688		53134032

अनुसूची संख्या		2007-2008 (रुपए)	2006-2007 (रुपए)
लाभांश पर कर		13618251	9936064
धन कर		8308	—
सामान्य प्रारक्षित		15000000	15000000
तुलन-पत्र में लाया गया शेख		679372478	656457851
मूल उपार्जन प्रति इक्विटी शेयर (रुपए)		19.28	16.82
मिश्रित उपार्जन प्रति इक्विटी (रुपए)		19.28	16.82
अंकित मूल्य प्रति इक्विटी शेयर (रुपए)		38.95	38.95
लेखा नीतियां और लेखा टिप्पणियां	17		

अनुसूची 1 से 17 लेखाओं का अभिन्न अंग है।

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

ह./-
(कुमुदनी शर्मा, उप-कंपनी सचिव

ह./-
(जी.डी. सूरजानी), निदेशक (वित्त)

ह./-
(ए.के. रतवानी), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.पी. कपूर एवं उबरॉय, सनदी लेखाकार

ह./-
(विनय जैन), साझेदार-सदस्यता संख्या 95187

सीान : नई दिल्ली
दिनांक : 6, अगस्त, 2008

31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लेखे के भाग तथा संलग्न अनुसूचियां

		31.03.2008 (रुपए)		31.03.2007 (रुपए)
अनुसूची-1 शेयर पूंजी				
प्राधिकृत :				
23,34,80,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 38.9 रुपए का		9094046000		9094046000
जारी, अभिदत्त तथा प्रदत्त :				
90,94,400 इक्विटी शेयर प्रत्येक 38.95 रुपए का		354226880		354226880
अनुसूची-2 प्रारक्षित व अधिशेष				
प्रारक्षित पूंजी				
अथशेष	210020		210020	
जोड़े : लाभ व हानि खातें से हस्तांतरण				
सामान्य प्रारक्षित	—	210020	—	210020
अथशेष	29000000		14000000	
जोड़ें : वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	15000000	44000000	15000000	29000000
लाभ व हानि खाता				
अथशेष	656457851		599272141	
घटाइए : 01.04.2007 के अनुसार कर्मचारी लाभों के लिए समायोजन (कृपया टिप्पणी 11 देंखे)	52932329		—	
	603525522		599272141	
जोड़ें : वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	75846956	679372478	57185710	656457851
		723582498		685667871

अनुसूची-3 - अचल आस्त्यिां

		लागत				मूल्यह्रास			निवल परिसंपत्ति		
		01.04.2007 को	परिवर्धन	कटौतियां	31.03.2008 को	31.03.2007 को	वर्ष हेतु	पुनरांकित	31.03.2008 तक	31.03.2008 तक	31.03.2007 को
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
1.	भूमि (पट्टे पर)	**1615856**			**1615856**					**1615856**	1615856
2.	भवन (पट्टे पर)	**47119595**			**47119595**	**16103271**	**802453**		**16905724**	**30213871**	**31016324**
	(पूर्ण स्वामित्व)	**1270132**			**1270132**	**512116**	**21338**		**533454**	**736678**	**758016**
3.	निर्माण उपस्कर	**62597219**	18906	15321303	**47294822**	**59018283**	**207600**	14555238	**44670645**	**2624177**	**3578936**
4.	फर्नीचर और फिक्सचर	**7808352**	2180946	194733	**9794565**	**6404655**	**797353**	184450	**7017558**	**2777007**	**1403697**
5.	कार्यालय उपस्कर	**12937985**	1473153	395933	**14015205**	**9580081**	**1290412**	371566	**10498927**	**3516278**	**3357904**
6.	डाटा प्रोसेसिंग मशीन तथा कंप्यूटर	**27730262**	7032985	371461	**34391786**	**21456917**	**5665823**	274715	**26848025**	**7543761**	**6273345**
7.	वाहन	**3919557**	3960	38661	**3884856**	**2275920**	**474737**	36803	**2713854**	**1171002**	**1643637**
	जोड़ :	**164998958**	**10709950**	**16322091**	**159386817**	**115351243**	**9259716**	**15422772**	**109188187**	**50198630**	**49647715**
	गत वर्ष	213656447	7197489	55854978	164998958	127398558	9379320	21426635	115351249	49647715	

31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लेखे के भाग तथा संलग्न अनुसूचियां

		31.03.2008 (रुपए)		31.03.2007 (रुपए)
अनुसूची-4 निर्माणाधीन कार्य				
अथशेष		16358823477		12979929048
जोड़िए : वर्ष में किए गए कार्य		8510200942		7632590540
		24869024419		20612519588
जोड़िए : पूर्णाविधि समायोजन		10450085		—
		24879474504		20612519588
घटाइए : गत वर्ष के समायोजन		—		3130659
		24879474504		20609388929
घटाइए : सम्पन्न परियोजनाएं		5391568932		4250565452
		19487905572		16358823477
अनुसूची- 5 वस्तु सूचियां				
(प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन व सत्यापित किए गए अनुसार)				
लागत पर निर्माण सामग्री का भंडार (सहयोगियों द्वारा रोक रखी गई सामग्री शामिल है)	12710127		13293701	
घटाइए : ग्राहक द्वारा रोक कर रखे गए भंडार के लिए प्रावधान	—	12710127	1410138	11883563
मार्गस्थ सामग्री		—		5239156
		12710127		17122719

31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लेखे के भाग तथा संलग्न अनुसूचियां

		31.03.2008 (रुपए)		31.03.2007 (रुपए)
अनुसूची-6 विविध देनदार				
(आरक्षित)				
(क) छह माह से अधिक की अवधि के बकाया ऋण				
- वसूली योग्य समझे गए		723254973		405785644
- संदेहास्पद समझे गए	22538855		23851329	
घटाइए : संदेहास्पद ऋणें के लिए प्रावधान	22538855	—	23851329	—
(ख) अन्य (वसूली योग्य समझे गए)		487399968		722446060
		1210654941		1128231704
नकद-7 नकद व बैंक शेष				
(क) हाथ में रोकड़		2438659		141568
(ख) उपलब्ध चैक		—		332247
(ग) डाक अग्रदाय		123		109
(घ) मार्गस्थ चैक		2052379		4517621
(ड.) बैंक में शेष				
अनुसूचित बैंकों में				
i) चालू खाते		614151869		403955786
ii) जमाराशि खाते		976709904		749032063
		1595352934		1157979394
अनुसूची-8 अन्य चालू आस्तियां				
जमा पर उपार्जित ब्याज		14398412		29896379

31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लेखे के भाग तथा संलग्न अनुसूचियां

		31.03.2008 (रुपए)		31.03.2007 (रुपए)
अनुसूची-9-ऋण व अग्रिम				
नकद या वस्तु रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य हेतु वसूली योग्य अग्रिम (आरक्षित, वसूली योग्य समझे गए, अन्यथा प्रावधान हेतु)				
(क) कर्मचारियों को दिए गए ऋण (अधिकारियों को दिए गए 11,37,255 रुपए के ऋण सहित) (गत वर्ष 16,17,608 रुपए) वर्षावधि में अधिकतम शेष 18,44,906 रुपए (गत वर्ष 23,35,693 रुपए)		15998007		15214353)
(ख) निर्माण कार्य के लिए अग्रिम :				
- निर्माण स्थल पर सामग्री के एवज में रक्षित		63187710		66588492
बैंक गारंटियों के एवज मे रक्षित	394231203		272554464	
घटाइए : संदेहास्पद समझे गए अग्रिमों हेतु प्रावधान	—	394231203	5300000	267254464
- अन्य गैर रक्षित	189417622		222213015	
घटाइए : संदेहास्पद समझे गए अग्रिमों हेतु प्रावधान	173197502	16220120	221476349	736666
(ग) कर्मचारियों से वसूली योग्य		1093778		1793432
(घ) अन्यों से वसूली योग्य	4175830611		1479701177	
घटाइए : संदेहास्पद समझे गए अग्रिमां हेतु प्रावधान	31636335	4144194276	34305085	1445396092
(ड.) स्रोत पर काटा गया कर		157153932		152768939
(च) प्रतिभूति जमा तथा प्रतिधारण धन :				
- निर्माण कार्य	1048860397		1013025158	
घटाइए प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन के के लिए संदहोस्पद समझे गए के लिए प्रावधान	39395706	1009464691	59256602	953768556
- अन्य	9787284		9885380	
घटाइए : प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन के लिए संदेहास्पद समझे गए के लिए प्रावधान	156258	9631026	162658	9722722
		5811174743		2913243716

31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लेखे के भाग तथा संलग्न अनुसूचियां

			31.03.2008 (रुपए)		31.03.2007 (रुपए)
अनुसूची-10 वर्तमान देयताएं व प्रावधान					
अ.	**वर्तमान देयताएं**				
1)	विविध लेनदार		5299975937		2552032823
ii)	ग्राहकों से अग्रिम		1156318805		744510250
iii)	देय प्रतिभूति जमा, बयाना तथा प्रतिधारण धन		916924520		767311548
iv)	अर्जित ब्याज, परंतु देय नहीं		—		888583
v)	ग्राहकों से अग्रिम		19470226710		16329993544
ब.	**प्रावधान**				
i)	छुट्टी नकदीकरण	117221678		103062010	
ii)	उपदान	8134345		25969395	
iii)	सेवा कर	723224		—	
iv)	प्रस्तावित लाभांश	35422688		53134032	
v)	निगमित लाभांश कर	6020085		7452048	
vi)	आयकर	41136163		30696120	
vii)	चिकित्सा व्यय (भूतपूर्व कर्मचारी)	43989787		—	
viii)	लम्बी सेना पुरस्कार	4231918		—	
ix)	छुट्टी यात्रा रियायत	4260121	261140009	—	220313605
			27104585981		20615050353
अनुसूची-11 अन्य आय					
(क)	विविध आय		27741348		39255606
(ख)	अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ		700619		4064201
(ग)	परामर्श शुल्क		350000		3495202
(घ)	अधिक प्रावधान पुनरांकित		5263347		14954451
(ड.)	किराया		7814028		7814028
			41869342		69583488

31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लेखे के भाग तथा संलग्न अनुसूचियां

	31.03.2008 (रुपए)	31.03.2007 (रुपए)
अनुसूची-12-प्राप्त ब्याज		
(क) बैंको से (शून्य रुपए की टीडीएस राशि भी सम्मिलित) (गत वर्ख 3,15,199 रुपए)	77606211	60535913
(ख) कर्मचारियों से	924485	698030
(ग) अन्य (जिसमें आयकर वापसी पर ब्याज की रु. 29,57,828 की राशि भी शामिल है। गत् वर्ष शून्य)	85616384	43981323
	164147080	105215266
अनुसूची-13-प्रत्यक्ष व्यय		
(क) आयातित उपस्करों सहित सिविल यांत्रित तथा विद्युतीय कार्य	7797672701	7029842632
(ख) डिजाइन व परामर्श	17398533	20361062
(ग) अन्य प्रत्यक्ष व्यय	124399976	50031471
(घ) संयंत्रों व यंत्रों की मरम्मत व रख-रखाव	408405	1536541
(ड.) वेतन व भत्ते	83654458	51122845
(च) भविष्य निधि व अन्य निधियों में अंशदान एवं परियोजना कर्मचारी	5933775	5085020
(छ) परिसमापन क्षतियां	305619	3974743
(ज) सामग्री की बिक्री पर हानि	—	7157
(झ) रॉयल्टी	5269461	7780875
(ण) बट्टे खाते डाली गई राशि (परियोजनाएं)	709089	—
	8035752017	7169742346
अनुसूची-14-प्रशासनिक व्यय		
(क) कर्मचारियों को वेतन, भत्ते तथा लाभ		
- वेतन व भत्ते	146372557	121445794
- भविष्य निधि व अन्य निधियों में अंशदान	13133213	12134107

31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लेखे के भाग तथा संलग्न अनुसूचियां

	31.03.2008 (रुपए)	31.03.2007 (रुपए)
- बोनस	208401	—
- चिकित्सा	21257394	15516072
- कल्याण	22742960	14069585
- उपदान	8134345	25969395
- प्रशिक्षण	719400	435061
- छुट्टी नकदीकरण	24396049	23063699
- कर्मचारियों को ब्याज-सहायता	72197	85538
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना भुगतान	—	20463583
जोड (क)	237036516	233182834
(ख) प्रशासन		
- यात्रा व परिवहन (इसमें कार्यस्थल पर निवास व्यय को 89,89,633 रुपए सम्मिलित हैं) (गत वर्ष 57,83,471) (इसमें निदेशकों से संबंधित 23,36,070 रुपए सम्मिलित हैं) (गत वर्ष 20,40,581 रुपए)	61613422	48952171
- किराया	3466802	2428907
- मुद्रण व लेखन सामग्री	4797914	5012385
- डाक, टेलिफोन व तार	10803575	9362681
- बैंक प्रभार व गारंटी कमीशन	15472532	13304559
- विज्ञापन व प्रचार	2561040	1461789
- बिक्री संवर्धन	1316741	1818677
- मनोरंजन (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित निदेशकों के लिए 2,99,945 रुपए) (गत वर्ष 2,31,115)	2423439	1386453
- मरम्मत व रख-रखाव		
- भवन	1446912	839309
- कार्यालय	22378422	20959419
- वाहन	1541186	1379542
- अन्य अचल आस्तियां	487344	914771
- शुल्क व कर	1737192	2093965
- पेट्रोल, तेल व स्नेहक	2342917	2535287
- बीमा	385218	759616
- जल, ऊर्जा व विद्युत प्रभार	7630150	6927270

31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लेखे के भाग तथा संलग्न अनुसूचियां

	31.03.2008 (रुपए)	31.03.2007 (रुपए)
- विधिक व व्यावसायिक प्रभार	12764987	6586245
- लेखापरीक्षकों का भुगतान		
- लेखापरीक्षा शुल्क	375000	440000
- कर लेखापरीक्षा शुल्क	112500	42000
- सेवा कर	60840	58997
- यात्रा तथा अन्य व्यय	550000	550000
- अतिथि गृह व्यय (निवल)	127498	95478
- विविध व्यय	5768981	5537120
- निविदा व्यय	3296388	2411784
- दान व उपहार	195979	20000
- प्रायोजन शुल्क एवं सेवा प्रभार	100000	–
जोड़ (ख)	163756979	135878425
(ग) अन्य व्यय		
- बट्टे खाते में डाली गई आस्तियां	10727	4756
- बट्टे खाते में डाली गई राशि	21454	7221290
- अचल आस्तियों की बिक्री पर हानि	269150	137201
- भविष्य निधि न्यास की हानियां	4049829	4994936
जोड़ (ग)	4351160	12358183
कुल जोड़ (क+ख+ग)	405144655	381419442
अनुसूची 15- ब्याज		
(क)अल्पावधि ऋण पर		
- बैंक	1009406	457494
(ख)अन्य	25380597	35941792
	26390003	36399286

31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लेखे के भाग तथा संलग्न अनुसूचियां

	31.03.2008 (रुपए)	31.03.2007 (रुपए)
अनुसूची 16- पूर्वावधि समायोजन		
अ व्यय		
I. परियोजना व्यय		
सिविल, यांत्रिक व विद्युतीय कार्य	19227904	38390515
संयंत्र व उपस्कर	743595	15867
प्रत्यक्ष खरीद (संयंत्र व उपस्कर)	—	27132867
उत्थापन व चालूकरण	—	43200
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	6727448	131559
बिक्री कर व्यय	6759099	165552
रॉयल्टी	4419311	—
	37877357	65879560
II. प्रशासनिक व्यय		
वेतन व भत्ते	223047	97208
कार्यस्थल पर रिहायश संबंधी खर्चे	15914	275464
चिकित्सा	351697	207714
कल्याण	112175	10259
पंजीकरण एवं फाइल शुल्क	—	2500
यात्रा व वाहन	679615	66311
मुद्रण व लेखन सामग्री	47318	1573
डाक, टेलीफान व तार	91612	44834
बैंक प्रभार व गारंटी कमीशन	15394	12992
मरम्मत व रखरखाव : कार्यालय	25089	573779
कंप्यूटर व्यय	348621	74674
जल, ऊर्जा व विद्युत	33423	202217
विधिक व व्यावसायिक प्रभार	110650	48056
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	4754	3698

31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लेखे के भाग तथा संलग्न अनुसूचियां

	31.03.2008 (रुपए)	31.03.2007 (रुपए)
विविध	75308	4147
मूल्यह्रास	102754	—
मनोरंजन व्यय	3724	7224
उपरिव्यय	6025	1792
ब्याज सहायता	—	41617
बिक्री संवर्धन	—	3061
विज्ञापन और प्रचार	22000	—
	2269120	1679120
III. ब्याज (अन्य)	4877688	4851578
जोड़ - अ (1+2+3)	45024165	72410258
ब. आय		
ब्याज-बैंक/अन्य	—	93009
विविध	17275302	989206
ग्राहक को प्रस्तुत बिल की प्राप्त राशि	—	13287745
बट्टे खाते डाले गए व्यय	4063554	93918
पूरी की गई परियोजनाओं से वसूली	—	21187215
पूरे किए गए कार्य	—	3130659
जोड़	21338856	38781752
निवल जोड : (ब-अ)	-23685309	-33628506

अनुसूची-17 - लेखांकन नीतियां और लेखा टिप्पणियां

(अ) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1 (क) लेखा परम्परा

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम,1956 के सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों और प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लागू लेखाकरण मानकों के अनुरूप ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए गए हैं। कंपनी ने कहीं-कहीं अन्यथा उल्लेख को छोड़कर अपने खातों का रखरखाव कार्यरत प्रतिष्ठान के रूप में उपार्जन आधार पर किया है।

(ख) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करना और उनकी प्रस्तुति सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है, जिनके लिए अनुमानों और पूर्वानुमानों की अपेक्षा होती है, जोकि वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं की सूचित राशि और सूचित अवधि के दौरान राजस्व व्यय की सूचित राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतरों को उस अवधि में माना जाता है, जिसमें इन परिणामों की जानकारी होती है/महत्वपूर्ण होते हैं।

2. राजस्व मान्यता

(क किया गया कार्य :

(i) इस वर्ष हेतु किए गए कार्य का निश्चय प्रगति पर संचित कार्य में से प्रगति पर प्रारंभिक कार्य को कम करके किया गया है।

(ii) चल रहे कार्य का मूल्यांकन

चल रहे कार्य का मूल्यांकन खर्च की गई संचयी वास्तविक लागत जमा विविध आय रहित अनुमानित लाभ को लेते हुए, प्रत्येक वर्ख़ के अंत में समीक्षित संविदा लागत के आधार पर समानुपातिक, अनुमानित लाभ सहित "संपूर्णता पद्धति की प्रतिशतता" पर किया गया है।

(iii) वर्ष के अंत तक किए गए कार्यों लेकिन माप नहीं किए गए/अंशतः किए गए कार्यों को इंजीनियरों द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के आधार पर हिसाब में लिया गया।

(iv) परियोजना को समय से पहले बंद कर देने/छोड़ देने के मामले में राजस्व को उपगत संविदा लागत की सीमा तक ही हिसाब में लिया गया है, जिसके वसूल कर लिए जाने की संभावना है।

(v) परामर्श सेवाओं से प्राप्त राजस्व समानुपातिक कार्यपूर्ति पद्धति के अनुसार हिसाब में लिया गया है। उन मामलों में, जिनमें दावे के समय तर्कसंगत निश्चितता के अभाव में अंतिम वसूली को पूरी वसूली किए जाने तक हिसाब में लिया जाना है, आस्थगित रखा गया है।

(vi) उन संविदाओं के संबंध में, जिनमें हानि का पूर्वानुमान है, समग्र हानि का समायोजन किया गया है।

(ख) ग्राहक के साथ संविदा में मूल्यों के उतार-चढ़ावों तथा अतिरिक्त कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है तथा बीमा दावों की गणना नकद आधार पर की गई है।

(ग) विवाद/बातचीत के अधीन संविदाओं तथा भुगतान योग्य/वसूली योग्य न समझी गई संविदात्मक बाध्यताओं से उत्पन्न परिसमापक क्षतियों की गणना अंतिम निर्धारण होने तक नहीं की गई है।

3. वस्तुसूची मूल्यांकन

(क) स्टील, सीमेंट और पाइपों को छोड़कर निर्माण सामग्रियों, उपभोग और भंडारों तथा हिस्से पुर्जों को खरीदारी के समय सीधे परियोजना लागत में प्रभारित किया गया है। परियोजना पूरी हो जाने पर वर्ष की शेख़ सामग्रियों के निपटान के लिए की गई बिक्री की राशि को विविध आय में डाला गया है।

(ख) स्टील, सीमेंट और पाइपों के स्टॉक का मूल्यांकन भारित और औसत लागत पर किया गया है।

4. अंतिम बिल, चालूकरण प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक तौर पर चालू, समय से पहले बंद होने और/अथवा छोड़ देने, जो भी पहले हो, के उपरांत लेखा उद्देश्यों के लिए परियोजना को बंद मान लिया जाता है।

प्रत्येक संविदा के बंद हो जाने तक "ग्राहक को दिए गए बिल की राशि" के संचयी मूल्य को "चालू देयताओं" के अंतर्गत तथा किए गए कार्य की संचयी राशि को "चल रहे कार्य" के अंतर्गत चालू आस्तियों में दिखलाया गया है।

किसी संविदा के बंद होने/समय से पहले बंद होने/छोड़ देने पर "ग्राहक को दिए गए बिल की राशि" को "चल रहे कार्य" के मूल्य में निर्धारित किया गया है।

5. विदेशी मुद्रा लेन-देन :

विदेशी मुद्रा विनिमय अंतरण के लिए अपनाए गए आधार :

(i) अचल आस्तियों की खरीदारी की तारीख को वास्तविक दर।

(ii) वर्ष में राजस्व मदों व ग्राहक को दिए गए बिल की राशि के लिए मासिक दरों का औसत; और

(iii) चालू आस्तियों व देयताओं के लिए वर्ष के अंत में नवीनतम उपलब्ध दर।

6. अचल आस्तियां और मूल्यह्रास :

(क) अचल आस्तियों को संचयी मूल्यह्रास कम करके लागत पर बतलाया गया है। अधिप्राप्ति की लागत में ढुलाई, शुल्क, कर व अन्य आकस्मिक व्यय सम्मिलित हैं।

(ख) अचल आस्तियों के मूल्यह्रास की गणना यथानुपात आधार पर सीधी रेखा पद्धति से की गई है तथा परिसंपत्तियों के प्रत्याशित लाभप्रद जीवन के दौरान लागत के 95% को बट्टे खाते में डाला गया है। परियोजना स्थल पर मूल्यह्रास की गणना निर्माण उपकरण और वाहनों के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर पांच वर्षों की अवधि पर की गई है।

(ग) पट्टेपर भवन को पट्टा अवधि अथवा उपयोग किए गए जीवनकाल, जो भी कम हो, के लिए परिशोधित किया गया है। पट्टे वाली भूमि (चिरस्थायी) का मूल्यांकन लागत पर किया गया है।

(घ) 5000/- रुपए या उससे कम लागत की अचल आस्तियों और मोबाइल फोन का क्रय-वर्ष में पूर्णतः अवमूल्यन किया गया है।

(ङ) परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर मूल्यह्रास को अंतरिती इकाई/क्षेत्र द्वारा हिसाब में लिया जाएगा।

(च) सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास की निम्नलिखित दरों को अपनाया गया है :-

भवन	1.68%
अस्थायी निर्माण	100.00%
निर्माण उपस्कर	19.00%
फर्नीचर व फिक्सचर	6.33%
कार्यालय उपस्कर	11.88%
साफ्टवेयर सहित डाटा प्रोसेसिंग मशीनें व कंप्यूटर	47.50%
मोबाइल फोन	100.00%
वाहन	
- परियोजनाएं	19.00%
- मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय	19.00%

7. कर्मचारियों के लिए लाभ

(क) कर्मचारियों को उपदान के भावी भुगतान के लिए देयताओं के संबंध में कंपनी बीमांकक आधार पर एक मान्यताप्राप्त न्यास (ट्रस्ट) को अंशदान देती है।

(ख) अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभों एवं अन्य अंत्य लाभों की देयता का बीमांकक आधार पर प्रावधान किया गया है।

(ग) सरकार द्वारा शासित भविष्य निधि में मूल वेतन के 12% की दर पर किए गए अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है।

8. निवेश

निवेशों का मूल्यांकन लागत आधार पर किया गया है।

9. आस्थगित राजस्व व्यय

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण उत्पन्न होने वाली क्षतिपूर्तियों, अनुग्रह राशि और नोटिस वेतन को छोड़कर पर विचार उसी वर्ष में किया गया है, जिस वर्ष में उनका भुगतान हुआ है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की अनुग्रह राशि और नोटिस वेतन को भुगतान किए गए वर्ष में आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना गया है और 5 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया गया है।

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

किसी प्रावधान को तब माना जाता है, जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान वचनबद्धता होती है और यह संभव है कि इस वचनबद्धता के निपटान के लिए संसाधनों का बाह्य-प्रवाह होगा और जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्य के लिए कटौती नहीं की जाती और तुलन पत्र की तारीख को वचनबद्धता के निपटान के लिए ये अपेक्षित श्रेष्ठ अनुमानों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान दर्शाने के लिए उन्हें

समायोजित किया जाता है। आकस्मिक देयता को तब प्रकट किया जाता है, जब आर्थिक लाभों को दर्शाने वाले संसाधनों के बाह्य-प्रवाह की कोई संभावना न हो। आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणों में न तो स्वीकार किया जाता है और न प्रकट किया जाता है।

11. परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर हानि के संदर्भ में परिसंपत्तियों की वास्तविक राशि की जांच की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि :-

(क) किसी भी क्षति के लिए प्रावधान अपेक्षित हो, अथवा

(ख) इसके विपरीत, यदि कोई हो, पूर्व अवधियों में मान्य क्षति संबंधी हानि की अपेक्षा।

(ब) खातों पर टिप्पणियां :

1. निम्नलिखित आकस्मिक देयताएं विद्यमान हैं :-

(क) पूरे किए जा चुके मूल्यांकन, जो विवाद/अपीलाधीन हैं, के संबंध में 4,57,27,649 रुपए (गत वर्ष 4,43,04,494 रुपए) की राशि की बिक्री कर/निर्माण संविदा कर मांग, जिसके लिए संबंधित प्राधिकारी के पास 78,26,291 रुपए (गत वर्ष 78,26,291 रुपए) की राशि जमा करवाई गई है।

(ख) कंपनी की ओर से बैकों द्वारा विभिन्न ग्राहकों के पक्ष में 221,56,41,935 रुपए (गत वर्ष 1,59,57,00,312 रुपए)की गारंटी जारी की गई।

(ग) ग्राहकों को 11,38,82,521 रुपए (गत वर्ष 11,38,82,521 रुपए) के क्षतिपूर्ति बंधपत्र (इंडेम्निटी बांड) जारी किए गए।

(घ) कंपनी के विरूद्ध दावों की राशि 798,64,56,499 रुपए (गत वर्ष 6,71,14,58,505 रुपए) है, जिसे ऋणों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

(ङ) कंपनी के विरूद्ध मध्यस्थ पंचाट, जिसके विरूद्ध उपयुक्त प्राधिकारी के पास अपीलें लंबित हैं, की राशि 28,81,00,905 रुपए (गत वर्ष 34,30,36,830 रुपए) है, जिसमें 23,21,99,731 रुपए (गत वर्ष 26,92,37,777 रुपए) की ब्याज की राशि शामिल है, जिसके लिए शून्य रुपए (गत वर्ष 1,50,00,000 रुपए) की राशि न्यायालय में जमा करवाई जा चुकी है।

2. कंपनी ने स्कोप भवन के अपने परिसर को सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम को किराए पर दिया था, जिसने इसके कुछ भाग को फरवरी,2002 में खाली कर दिया था और वे कुछ फर्नीचर तथा जुड़नार छोड़ गए थे। यह सहमति हो गई थी कि छोड़े गए फर्नीचर और जुड़नार की लागत का भुगतान पारस्परिक सहमति पर किया जाएगा। सरकारी उपक्रम ने देय किराए में से 49,13,684 रुपए की राशि रोक ली है, जिसके लिए कंपनी द्वारा प्रावधान किया गया है, विवाद का निपटान होने तक पूंजीकरण और परिणामी मूल्यह्रास को खातों में भारित नहीं किया गया है।

3. (क) किसी लघु उद्योग उपक्रम का कंपनी पर उधार बकाया नहीं है।

(ख) कंपनी को सूक्ष्म, लघु और मध्यवर्ती उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के अंतर्गत स्तर के बारे में पूर्तिकारों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तथापि पंजीकरण के समय इसने पुष्टि कर ली है कि कोई भी पूर्तिकार एमएसएमई अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसलिए,

i. लेखा वर्ष के अंत में पूर्तिकारों की ओर कोई भी राशि देय और बकाया नहीं है;

ii. वर्ष के दौरान प्रदत्त ब्याज;

iii. लेखा वर्ष के अंत में देय ब्याज;

iv. लेखा वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज, जिसका भुगतान नहीं किया गया है और जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(ग) विभिन्न ग्राहकों, सहयोगियों, आपूर्तिकर्ताओं के नामे व जमा शेष का पुष्टिकरण और समाधान होना हैं।

(घ) ग्राहक द्वारा सहयोगी को निर्गमित और आपूर्तित निःशुल्क सामग्री, समाधान और परिणामस्वरूप समायोजन, यदि कोई है, के अधीन है।

4. एक विदेशी संविदा के मामले में दिनांक 31.03.2008 के अनुसार वित्तीय विवरणों में 31,68,77,633 रूपए की कुल परिसंपत्तियां, 31,68,77,633 रूपए की कुल देयता और 25,42,75,251 रूपए का कुल राजस्व तथा 25,42,75,251 रूपए का कुल व्यय दर्शाया गया है, जिसे प्रबंधन द्वारा प्रमाणित के अनुसार न लाभ, न हानि के रूप में शामिल किया गया है। वित्तीय विवरण लेखाकरण मानकों और भारतीय कंपनी कानून के अनुसार तैयार किए गए हैं। विदेशी मुद्रा विनिमय के कारण उत्पन्न 25,22,141 रूपए की राशि के विनिमय दर परिवर्तन लाभ को लेखाकरण मानक 11 के प्रावधानों के अनुसार बुक किया गया है।

5. विदेशी मुद्रा में व्यय

		31.03.2008 (रुपए)	31.03.2007 (रुपए)
(i)	उपकरणों और कल-पुर्जों के आयात का सीआईएफ मूल्य	42646440	शून्य
(ii)	डिजाइन एवं परामर्श	3252000	शून्य
(iii)	विदेश यात्रा	1188803	4426204

6. कुछ संविदाएं रद्द/समय से पहले समाप्त कर दी गई हैं। कंपनी ने इन संविदाओं को रद्द किए जाने के संबंध में न्यायालयों में स्थायी मध्यस्थता तंत्र (विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार) के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की है। जोखिम एवं क्रय धारा के आह्वान के कारण देयता, यदि कोई हो, जिसके संबंध में ग्राहकों द्वारा प्रार्थना की जाती है, कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि इस संबंध में न तो कोई निर्धारण किया गया है और न ही ग्राहकों द्वारा सूचित किया गया है। संविदाएं कंपनी की ओर से कोई कारण न होते हुए, बल्कि असामान्य स्थितियों के कारण रद्द की गई हैं। प्रबंधन को उपर्युक्त संविदाओं के बदले में आवश्यक छूट मिलने की आशा है।

7. (क) स्कोप काम्पलेक्स, नई दिल्ली (3,74,41,925 रुपए) में भवन के संबंध में हक विलेख (डीड्स) निष्पादन के लिए कंपनी के नाम में रूके हुए हैं। हक विलेख के निष्पादन के लिए यदि कोई देयता होगी तो उसका प्रावधान उसके पंजीकरण के वर्ष में किया जाएगा।

(ख) कंपनी ने स्कोप काम्प्लेक्स, नई दिल्ली के 3,74,41,925 रुपए (गत वर्ष 3,74,41,925 रुपए) में कार्यालय भवन के न्यायसंगत रेहन 14,66,12,267 रुपए (गत वर्ष 13,49,80,637 रुपए) की राशि की सावधिक जमा रसीदों को गिरवी रखने तथा पुस्तक उधारों को आडमान करके बैंकों से गैर-निधि आधारित ऋण सीमाएं प्राप्त की हैं।

(ग) कंपनी ने बयाना राशि जमा/प्रतिभूति जमा के कारण ग्राहकों के साथ 78,31,001 रुपए (गत वर्ष 60,00,000 रुपए) की राशि की सावधि जमा रसीदें रेहन रखी हैं।

8. कंपनी मुख्यतः एक व्यवसाय खंड के अंतर्गत निर्माण गतिविधियों में और भारत तथा दुबई में दो भौगोलिक क्षेत्रों में संलग्न है। मुख्य क्षेत्र के अलावा भौगोलिक क्षेत्र अर्थात दुबई से राजस्व कुल राजस्व के 10% से कम है, अतः लेखांकन नीति-17 "खंड रिपोर्टिंग " के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी अपेक्षित प्रकटीकरण कंपनी पर लागू नहीं है।

9. कंपनी ने उपलब्ध हानियों को आयकर अधिनियम,1961 के अधीन स्पष्टीकरण के लिए अग्रेनीत किया है, तथापि, पर्याप्त भावी कर योग्य आय के उत्पादन के संबंध में वर्तमान अनिश्चितता के विचार से निवल आस्थगित कर आस्तियों को इस वर्ष के संबंधित क्रेडिट सहित खाते में डाला गया है और विवेकपूर्ण आधार पर उनका अभिज्ञान इन खातों में नहीं किया गया है।

10. आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक-7 (संशोधित) के अनुसरण में प्रकटीकरण

क्रम स.	विवरण	(राशि रुपए) 2007-08	2006-07
1	अवधि के दौरान राजस्व के रूप में संविदा राजस्व	8510200942	7632590540
2	सूचित तारीख तक उपगत संविदा लागतें और अभिज्ञात लाभ	19487905572	16358823477
3	प्राप्त अग्रिम	1156318805	744510250
4	आस्ति के रूप में प्रस्तुत-संविदा कार्य के लिए ग्राहकों द्वारा देय सकल राशि	99225410	166543044
5	देयता के रूप में प्रस्तुत-संविदा कार्य के लिए ग्राहकों द्वारा देय सकल राशि	81546548	137713110

11. कर्मचारियों के लिए लाभ

कंपनी ने विभिन्न कर्मचारी लाभों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया है:

(क) परिभाषित अंशदायी योजनाएं-

कंपनी ने इस वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में निम्नलिखित राशियों को शामिल किया है:

भविष्य निधि में

अंशदान	1,85,66,988/- रूपए
बोनस	2,08,401/- रूपए

(ख) परिभाषित लाभ योजनाएं:-

(1) ईपीआई कर्मचारी उपदान निधि न्यास के संबंध में निम्नलिखित पूर्वानुमान का प्रयोग करते हुए उपदान के संबंध में देयता का प्रावधान भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार किया जाता है:

(क) वेतन वृद्धि की दर (प्रतिवर्ष)	5.00%
(ख) छुट दर (प्रतिवर्ष)	8.00%
(ग) सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष
(घ) जीवन बीमा निगम (1994-96) मृत्यु दर तालिका में प्रकाशित दरों के अनुसार विचारित मृत्यु दर	
(ड.) कर्मचारियों की संख्या	498
(च) कुल मासिक वेतन	1,16,00,988/- रूपए
(छ) 31.3.2008 के अनुसार उपदान निधि का मूल्य	12,57,16,444/- रूपए
(ज) वर्ष़ 2007-08 के लिए उपदान में अंशदान	81,34,345/- रूपए

(2) कंपनी दीर्घावधि क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों, सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभों, छुट्टी यात्रा रियायत और बीमांकन आधार पर दीर्घ सेवा पुरस्कार के लिए भी प्रावधान करती है।

(ए) परिभाषित लाभ वचनबद्धता में परिवर्तन

(रुपए)

	दीर्घावधि क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ	छुट्टी यात्रा रियायत
	(गैर-सहायता योजना)	(गैर-सहायता योजना)	(गैर-सहायता योजना)	(गैर-सहायता योजना)
पहली अप्रैल 2007 को परिभाखित	108071056	3912896	40109128	3901259
मौजूदा सेवा लागत	8987241	219735	1378333	229532
ब्याज लागत	8645684	313032	3208730	312101
समाधान लागत/(क्रेडिट) प्रदत्त लाभ	(15245427)	(395722)	(1013050)	(2479069)
वचनबद्धताओं पर बीमंन (लाभ)/हानि	6763124	181977	306646	2296298
31 मार्च 2008 को परिभाखित लाभ वचनबद्धता	117221678	4231918	43989787	4260121

(बी) योजनागत परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य में परिवर्तन (निधिपोषित योजनाएं)

(रुपए)

पहली अप्रैल 2007 के अनुसार योजनागत परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योजनागत परिसम्पत्तियों पर संभावित आय	शून्य			
बीमांकिक लाभ/(हानियां)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अंशदान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रदत्त लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31 मार्च, 2008 को योजनागत परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(सी) तुलन पत्र में मान्य राशि

(रुपए)

	दीर्घावधि क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ	छुट्टी यात्रा रियायत
	(गैर-सहायता योजना)	(गैर-सहायता योजना)	(गैर-सहायता योजना)	(गैर-सहायता योजना)
31.03.2008 के अनुसार परिभाषित लाभ वचनबद्धता	117221678	4231918	43989787	4260121
31 मार्च 2008 के योजनागत परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परिसंपत्ति के रूप में मान्य नहीं की गई राशी (पैरा 59(ख) में सीमा)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में मान्य देयताएं/(परिसंपत्ति)	117221678	4231918	43989787	4260121
चालू देयताओं और प्रावधानों में शमिल (अनुसूची-1)2	117221678	4231918	43989787	4260121

(डी) लाभ एवं हानि खाते में मान्य व्यय

(रुपए)

चालू सेवा लागत	8987241	219735	1378333	229532
विगत सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब्याज की लागत	8645684	313032	3208730	312101
योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित आय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कम की गई/निपटान लागत/(क्रेडिट)	6763124	181977	306646	2296298
इस अवधि में मान्य निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि लेखाकरण मानक-15 के पैरा 59(ख) में सीमा का प्रभाव (संशोधित 2005)	-	-	-	-
एक-वर्षीय नवीकरण अवधि बीमा (आवाईआरटीए) प्रीमियम लाभ एवं हानि खाते में मान्य कुल व्यय, जोकि भविष्य निधि और अन्य निधियों के अंशदान में शामिल है (अनुसूची-16)	-	-	-	-
	24396049	714744	4893709	2837931

यह पहला वर्ष है, जिसमें संशोधित लेखाकरण मानक-15 को लागू किया गया है, वचनबद्धता के वर्तमान मूल्य की राशि, योजनागत परिसंपत्तियों का वास्वतिक मूल्य, योजना में अधिशेष अथवा घाटा, योजनागत देयताओं से उत्पन्न संभावित समायोजन और पिछले चार वर्ष के लिए योजनागत परिसंपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई है।

12. संबंधित पार्टियों की जानकारी :

(i) वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

श्री सलीम हमीद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 22.12.2007 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रहे)
श्री ए.के. रतवानी, निदेशक (परियोजनाएं) (दिनांक 22.12.2007 से अध्यक्ष एवं प्रंबध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार धारण किए हुए हैं)
श्री जी. डी. मूरजानी, निदेशक (वित्त)
श्री एन. गोकुलराम, निदेशक (दिनांक 01.02.2008 से निदेशक नहीं रहे)
श्री सुरजीत मित्रा, निदेशक
श्री आर अशोकन, निदेशक
श्री अंजन कुमार मित्रा, निदेशक
श्री डी.आर.एस. चौधरी, निदेशक (दिनांक 26.04.2007 से निदेशक नहीं रहे)
श्री अरूण दत्ता, निदेशक
डा. राम एस. तरनेजा, निदेशक

(ii) संबंधित पार्टियों के साथ निम्नलिखित लेनदेन साधारण व्यापार क्रम में किए गए थे :-

(राशि रूपए)

	अंत तक 31.3.2008	अंत तक 31.3.2007
वेतन	2996155	2439558
मकान किराया	519160	535953
चिकित्सा व्यय	13982	71057
भविष्य निधि में अंशदान	271611	227142
बैठक शुल्क	72000	56000

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों को 780/- रुपए/520/- रुपए/490/- रुपए के भुगतान पर 1000 कि.मी. प्रतिमाह तक गैर-ड्यूटी यात्रा के लिए कंपनी की कार का प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त है। उपदान और छुट्टी नकदीकरण भी कंपनी के नियमों के अनुसार देय है।

13. लेखा मानक 20 :''प्रति शेयर उपार्जन'' के अनुरूप आकलित प्रति शेयर उपार्जन (''ईपीएस'')

मूल एवं मिश्रित

विवरण/वर्ष		**2007-08**	2006-07
खातों के अनुरुप कर-उपरांत लाभ (लाख रुपए)	**अ**	1753.19	1529.67
जारी शेयरों की संख्या	**ब**	9094400	9094400
मूल एवं मिश्रित ईपीएस (रु.)	**अ/ब**	19.28	16.82
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपए)		38.95	38.95

14. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक-28 के अनुसार प्रबंधन ने मूल्यांकन किया है और यह पाया है कि नियत परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई क्षति नहीं हुई है।

15. गत वर्ष के आंकड़ों को यथा आवश्यक पुनर्समूहों/पुनर्व्यवस्थाओं में रखा गया है।

31 मार्च, 2008 से समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

लाख में रुपए

		2007-08 रुपए	2006-07 रुपए
अ.	**प्रचालित कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :**		
	कर व असाधारण मद से पूर्व निवल लाभ	**2013.62**	**1755.08**
	मूल्यह्रास	92.60	93.79
	अलग से विचार की गइ मदें-प्रदत्त ब्याज	10.09	4.57
	- प्राप्त ब्याज	-776.06	-605.36
	विविध व्यय, बट्टे खाते में न डाले जाने तक	0.00	204.64
	कार्यचालन पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**1340.25**	**1452.72**
	व्यापार और अन्य वसूली योग्य राशियों में (वृद्धि/कमी)	-23967.57	-12434.76
	मालसूचियों में (वृद्धि/कमी)	-44.13	234.41
	व्यापार देयताओं मे (वृद्धि/कमी)	27449.92	10423.84
	प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी	**4778.47**	**-323.79**
ब.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**		
	दीर्घावधिक निवेशों में प्रयुक्त नकदी	-2626.78	-2836.78
	अचल आस्तियों की खरीद	-107.10	-71.97
	अचल आस्तियों की बिक्री	8.99	344.28
	प्राप्त ब्याज	776.06	605.36
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी (प्रयुक्त)	**-1948.83**	**-1959.11**
स.	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह :**		
	लाभांश का भुगतान	-531.34	-531.34
	अंतरिम लाभांश का भुगतान	-354.23	-177.11
	लाभांश कर का भुगतान	-187.02	-99.36
	प्रदत्त ब्याज	-10.09	-4.57
	निवल नकदी (प्रयुक्त)/वित्तपोषण कार्यकलापों से	**-1082.68**	**-812.38**
	निवल कमी/वृद्धि नकदी और समरूप में (अ+ब+स)	1746.96	-3095.28
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समरूप	5089.47	8184.75
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समरूप	**6836.43**	**5089.47**

लाख में रुपए

		2007-08 रुपए	2006-07 रुपए
टिप्पणी :			
1	दीर्घावधि निवेश	9117.10	6490.32
	वर्ष के अंत में रोकड़ और रोकड़ के समान मदों का ब्योरा		
	अल्पावधि निवेश	650.00	1000.00
	उपलब्ध नकदी	24.39	1.42
	चालू लेखा	6162.04	4088.05
		6836.43	5089.47

2 नकदी प्रवाह विवरण को लेखा-मानक-3 (एस-3) में निर्धारित मानक के अनुसार अप्रत्यक्ष पद्धति से तैयार किया गया।

3 गत वर्ष के आंकड़ों को इस प्रकार पुन: समूहों में रखा गया है, पुन:वर्गीकृत किया गया है, ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों से इनकी तुलना की जा सके।

अनुसूची 1 से 17 लेखाओं का अभिन्न अंग है।

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

ह./-
(कुमुदनी शर्मा, उप-कंपनी सचिव

ह./-
(जी.डी. सूरजानी), निदेशक (वित्त)

ह./-
(ए.के. रतवानी), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.पी. कपूर एवं उबरॉय, सनदी लेखाकार

ह./-
(विनय जैन), साझेदार-सदस्यता संख्या 95187

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 6, अगस्त, 2008

कंपनी अधिनियम 1956 के भाग-4 के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना

I. पंजीकरण ब्यौरे

पंजीकरण संख्या	U27109DL1970GOI 117585	राज्य कोड	55
तुलन-पत्र	31.03.2008		

II. वर्षावधि में उगाही गई पूंजी (राशि हजार रुपए में।)

पब्लिक इशू	Nil	राइट इशू	Nil
बोनस इशू	Nil	निजी रूप में	Nil

III. जुटाव व विकास विधियों की स्थिति (राशि हजार रुपए मे)

निधि स्रोत	कुल देयताएं: 28182395	कुल अस्तियां: 28182395
	शेयर पूंजी: 354227	प्रारक्षित व अधिशेख: 723583
निधि प्रयोज्यता	निवल अचल आस्तियां: 50199	निवेश: शून्य
	निवल चालू आस्तियां: 1027611	विविध व्यय: शून्य

IV. कंपनी का कार्यनिष्पादन (राशि हजार रुपए में)

	कुल कारोबार: 8744943	कुल व्यय: 8543581
	कर-पूर्व लाभ: 201362	कर-उपरांत लाभ: 175319
	प्रति शेयर आय: Rs. 19.28	लाभांश: 20%*

V. तीन मुख्य उत्पादों/कंपनी सेवाओं के सामान्य नाम (वित्तीय निबंधनों के अनुसार)

पंमद कोड संख्या (आईटीसी कोड)	शून्य
उत्पाद विवरण	निर्माण व परियोजनाएं संबंधी कार्यकलाप
मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)	शून्य
उत्पाद विवरण	शून्य
मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)	शून्य
उत्पाद विवरण	शून्य

* वर्ख के दौरान प्रदत्त 10 प्रतिशत अंतरिम लाभांश सहित

दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा (4) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और कंपनी द्वारा दिए गए उनके उत्तर

टिप्पणियां	कंपनी का जवाब
कंपनी अधिनियम,1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण और आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। इसे उनकी दिनांक 6 अगस्त, 2008 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया बताया गया है।	
मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 619(3) के अधीन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकरण कागजातों तक अभिगम्यता रहित स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखाकरण रिकार्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है। मेरे द्वारा की गई पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख करना चाहूंगा, जो मेरे ध्यान में आए हैं और जोकि मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए आवश्यक हैं।	
लाभ एवं हानि खाता	
ब्याज (अनुसूची-12) 16.41 करोड़ रुपए	
एक पंचाट निर्णय संबंधी राशि पर ब्याज के कारण 6.81 करोड़ रुपए की अधिक राशि का उल्लेख किया गया है, जिस पर विवाद	ब्याज को मान्यता लेखा मानक-4 के अनुसार दी गई है, जिसके अनुसार ऐसे लाभों को मान्यता तभी दी जाती है, जब ऐसे लाभों की वसूली वास्तव में निश्चित हो।

है और यह न्यायधीन है। यह लेखा मानक-4 के प्रतिकूल है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि आकस्मिक लाभों को तभी मान्यता दी जानी चाहिए, जब लाभ की वसूली वास्तव में निश्चित हो। इसके परिणामस्वरूप-इस वर्ष हेतु 6.81 करोड़ रुपए के अधिक लाभ का उल्लेख किया गया है।

यह निर्णय स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए) के अधीन विधि सचिव, भारत सरकार (जीओओई) द्वारा विधिवत नियुक्त संयुक्त सचिव एवं एकमात्र मध्यस्थ द्वारा कंपनी के पक्ष में प्रकाशित किया गया है। दोनों पक्षों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विधिवत अनुमोदित दिनांक 01/02-02-2001 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार अन्य पार्टी ने निर्णीत मूल राशि 849.63 लाख को स्वीकार कर लिया है। उपर्युक्त 849.63 लाख रूपए की मूल राशि में से इस कंपनी द्वारा 4.00 करोड़ रुपए पहले ही प्राप्त किए जा चुके हैं। उपर्युक्त स्वीकृत राशि पर मध्यस्थ द्वारा निर्णीति ब्याज"मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996(1996 का 26) की धारा 31, 7(क) एवं 7(ख) के प्रावधानों के अनुसार है।

उपर्युक्त शर्तों की मौजूदगी का आशय है कि निर्णीत राशि की वसूली वस्तुतः निश्चित होती है और इसलिए इस राशि को लेखा मानक-4 के प्रावधानों के अनुसार मान्य किया गया था और इस वर्ख़ के लिए लिए लाभ की किसी अधिक राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।

अनुसूची 1 से 17 लेखाओं का अभिन्न अंग है।

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

ह./-	ह./-	ह./-
(कुमुदनी शर्मा, उप-कंपनी सचिव	(जी.डी. सूरजानी), निदेशक (वित्त)	(ए.के. रतवानी), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.पी. कपूर एवं उबरॉय, सनदी लेखाकार

ह./-

(विनय जैन), साझेदार-सदस्यता संख्या 95187

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 6, अगस्त, 2008

Engineering the Future

EPI - a multi disciplinary ..... Turnkey Construction Company having over 38 years of excellent track record in the following fields :

Civil & Structural :

• Townships and Housing Complexes • High Rise Buildings • Grain Silos & TV Towers
• Deep Excavations and Foundations • Sports Stadia • Dams & Canals
• Infrastructure Development • Industrial Structures • Hospitals & Airports

Material Handling :

• Coal Handling • Plants & Systems • Ash Handling • Fertilizer Handling
• Ore Handling • Cross Country Conveyors

Metallurgical :

• Furnaces - Reheating/Walking Beam/Electric Arc & Others • Lime and Dolomite Kilns • Calcination Plants
• Coke Ovens • Foundries/Sand Plants/Cupolas/Tube Mills
• Slag Granulation

Water Supply & Environmental Schemes :

• Rural and Urban Water Supply • Sewage Treatment Plants • Effluent Treatment Plants • Trunk Water Pipelines

Oil & Petrochemical :

• Ore Beneficiation • Coal Washeries • Sulphuric Acid Plants • Nitric Acid Plants • Calcium Carbide Plants
• Oil Extraction Plants

Project Management Services :

• For Institutional & Residential Buildings
• Utility Services • Development Works for Nation's PSU & Govt. Departments

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.
ENGINEERING PROJECTS (INDIA) LTD.

(मिनी रत्न – भारत सरकार का उद्यम)
(A MINI RATNA - GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)
ISO 9001 : 2000 & ISO 14001 : 2004 CERTIFIED

Core-3, Scope Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi - 110 003 Tel : +91-11-24363591, 24364133,
Fax : +91-11-24363426, E-mail : epico@engineeringprojects.com, bddco@engineeringprojects.com,
Website : www.engineeringprojects.com

QMS Certificate No. IMS/04/04
EMS Certificate No. IMS/05/04

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उद्यम)

(एक मिनी रत्न कंपनी)

आई.एस.ओ. 9001:2000 एंड आई.एस.ओ. 14001:2004 प्रमाणित

कोर-3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110 003 दूरभाष : 91-11-24363591, 24364133
फैक्स : +91-11-24363426, ई-मेल : epico@engineeringprojects.com, bddco@engineeringprojects.com,
वैबसाइट : www.engineeringprojects.com

Accurate Prints : 9871196002